माननीय न्यायमूर्ति आर. पी. सेठी, ए. सी. जे., जी. एस. सिंघवी, एन. के. शोध्त, के. एस. कुमारन और टी. एच. बी. चलपति

डॉ. एम. सी. शर्मा-याचिकाकर्ता।

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य,-उत्तरदाता।

1994 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1,694

19 जनवरी, 1995

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14, 15 (3), 16 & 323-ए-पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, 1990-खंड III, अध्याय VII (ii)-विनियमन 5-विनियमन 5 की संवैधानिक वैधता-विनियमन 5 में यह प्रावधान किया गया है कि महिला महाविद्यालय की प्राचार्य एक महिला होगी-प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए पुरुष का बहिष्कार, जो बहुमत के अनुसार आयोजित किया जाता है, विनियमन अधिकारातीत है अनुच्छेद 16-केवल महिलाओं के पक्ष में लिंग के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-प्रशासनिक न्यायालय अधिनियम, 1985-धारा 28-रिट याचिका की रखरखाव-उच्च न्यायालय को विनियमन 5 (प्रति बहुमत) की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है-विनियमन 5 की वैधता पर उच्च न्यायालय द्वारा घोषणा के बाद गुण-दोष पर मामले का निर्णय लेना है- केवल उच्च न्यायालय द्वारा एक उपयुक्त मामले में राहत के बिना घोषणा की जा सकती है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर के अध्याय VI (2) खंड III के नियम 5 को रद्द करने के लिए दावा की गई राहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा उसके समक्ष दायर याचिका में नहीं दी जा सकती है, जहां पंजाब विश्वविद्यालय को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जैसा कि स्वीकार किया जाता है कि यह न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।यह सच है कि न्यायाधिकरण काल्पनिक रूप से सेवा मामलों में उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के लिए विकल्प है, जो नियमों की वैधता के प्रश्न सहित तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायाधिकरण के पास एक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियम की संवैधानिकता निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र था जो प्राधिकरण इसकी अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है।यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि न्यायाधिकरण सक्षम अधिकार क्षेत्र के दीवानी

न्यायालय द्वारा पारित डिक्री और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा घोषित कानून से बाध्य है।इस संदर्भ में, तर्कों को एक प्रार्थना के साथ संबोधित किया गया है कि केवल उल्लंघनकारी नियम को अधिकार अधिकारातीत घोषित किया जाए और याचिकाकर्ता के सेवा मामलों के संबंध में शेष दावे को न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया जाए। इसलिए, केवल उच्च न्यायालय के पास प्राधिकरण द्वारा अधिनियमित और निगमित एक प्रावधान की वैधता और संवैधानिकता का परीक्षण करने का अधिकार क्षेत्र है, जैसे कि प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार्य है। पंजाब विश्वविद्यालय के संबंध में अनुच्छेद 226 की प्रयोज्यता को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दायरे या नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता है।प्रतिवादी की यह आपत्ति, इसलिए, बिना किसी आधार के स्वीकार्य नहीं है (प्रति बहुमत)।

(पैरा 11)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि घोषणात्मक फरमानों और निषेधाज्ञाओं द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट राहत के अनुदान के अंतर्निहित सिद्धांतों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिटों की राहत के अनुदान के मामलों में कुछ सीमाओं और शर्तों के साथ लागू कहा जा सकता है जैसा कि संविधान के तहत वर्णित है और कानूनी घोषणाओं द्वारा सीमित है (प्रति बहुमत)।

(पैरा 17)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने पर, यह कहा जा सकता है कि न्यायालय सामान्य रूप से केवल घोषणात्मक रिट नहीं देंगे या जारी नहीं करेंगे, जब तक कि पीड़ित व्यक्ति ने उन्हें उपलब्ध आनुषंगिक राहत के लिए नहीं कहा हो। हालाँकि, इस नियम को आत्यन्तिक नहीं माना जा सकता है और यह अपवादों के अधीन है कि जहां अनुच्छेद 226 के संदर्भ में घोषणा के बावजूद, याचिकाकर्ता अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कुछ कानूनी प्रतिबंधों के कारण आगे परिणामी राहत का हकदार नहीं है और उस स्थिति में वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के संदर्भ में उसके द्वारा अनुरोध किए गए राहत से वंचित नहीं हो सकता है।असाधारण मामलों में, उच्च न्यायालय यह संतुष्ट होने के बाद कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति को किसी अधिनियम (बहुमत के अनुसार) द्वारा बनाई गई अधिनियमी बाधा या अधिकार क्षेत्र के अवरोध के कारण किसी अन्य परिणामी राहत के लिए प्रार्थना करने से रोका गया था इसलिए उच्च न्यायालय को केवल एक घोषणात्मक रूप में राहत देने के लिए उचित ठहराया जा सकता है।

(पैरा 18)

इसके अलावा, यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण के बीच शटल कॉक नहीं बनाया जा सकता है और अंततः तकनीकीताओं की आड़ में उचित राहत का दावा करने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है जैसा कि हमारे सामने पेश किया गया है। मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, रिट याचिका को इस तथ्य के बावजूद खारिज नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने केवल आपत्तिजनक नियम 5 की संवैधानिकता और अधिकार के बारे में एक घोषणा की मांग की है, जिसे इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

(पैरा 19)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य के पास संविधान के अनुच्छेद 15 (3) के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए एक प्रावधान करने की शक्ति है जिसे संविधान के अनुच्छेद 15 (1) के परंतुक के रूप में पढ़ा जाना है।लिंग के आधार पर भेदभाव की अनुमति है यदि यह पाया जाता है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं थीं और उस क्षेत्र में पुरुषों से पीछे हैं जहां आरक्षण की मांग की गई है । सेवा में नियुक्ति के मामलों में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इस तरह के भेदभाव को दो बराबर लोगों के बीच नहीं माना जा सकता है, बल्कि यह असमान लोगों के बीच एक भेदभाव है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 (1) द्वारा भी प्रभावित नहीं होता है। संविधान के तहत जो निषिद्ध है वह यह है कि समान लोगों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है और समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 15 (2) द्वारा परिकल्पित विशेष प्रावधान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा करना है जो संविधान निर्माताओं के अनुसार सुरक्षात्मक होना आवश्यक था।हालाँकि, जब भी किसी महिला के पक्ष में कोई आरक्षण दिया जाता है, तो उसे तर्कसंगतता के आधार पर परखा जाना चाहिए।एक बार कार्यपालिका द्वारा निर्धारित की जाने वाली ऐसी तर्कसंगतता को न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, राज्य को प्रथमदृष्टया आरक्षण देने के आधारों और इस तरह के आरक्षण की सीमा को सही ठहराने की आवश्यकता है।अनुच्छेद 15 (3) के तहत आरक्षण वह आधार है जो लिंग के आधारों से संबंधित है।

(पैरा 33)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि महिलाओं के पक्ष में *दिया* गया आरक्षण-आक्षेपित नियम के अनुसार केवल लिंग के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है (बहुमत के अनुसार, जी. एस. सिंघवी और टी. एच. बी. चलपति, न्यायमूर्ति विपरीत)।

(पैरा 42)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां तक यह प्रावधान है कि महिला महाविद्यालय की प्राचार्य एक महिला होगी, वह अनुच्छेद 14,15 *और 16* द्वारा आश्वस्त संविधान

के प्रावधानों अधिकारातीत है।प्रतिवादी केवल लिंग के आधार पर एक महिला के पक्ष में किए गए भेदभाव को सही ठहराने की स्थिति में नहीं हैं।

(पैरा 45)

माना जाता है कि इस नियम को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह केवल लिंग के आधार पर महिलाओं के पक्ष में भेदभाव करना चाहता है।इस संदर्भ में, यह ध्यान दें महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए कॉलेज स्थापित करने की सरकार की कार्रवाई को चुनौती नहीं दी है।ऐसी किसी भी चुनौती को आम तौर पर खारिज कर दिया जाता क्योंकि यह मुख्य रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र *में है* कि वह यह निर्धारित करे कि उसे किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने चाहिए।विशेष रूप से महिला महाविद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य महिला छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।हमारी सामाजिक संरचना में महिलाओं को कई शताब्दियों से समाज के एक कमजोर और विकलांग खंड के रूप में पहचाना जाता रहा है। ऐसा माहौल बनाने के लिए जिसमें छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और इस तरह राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें, सरकार ने न केवल महिलाओं के लिए विशेष रूप से कॉलेज स्थापित किए हैं बल्कि देश में विशिष्ट विश्वविद्यालय भी स्थापित किए हैं। इससे ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले छात्रों का बड़ी संख्या में आगमन हुआ है। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे वे अब विशेष रूप से महिलाओं के लिए बने कॉलेजों में शामिल होने में सक्षम हैं। यदि विशेष रूप से महिला महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, तो उस नियम को चुनौती देने में बहुत कम योग्यता है जिसके द्वारा ऐसे महाविद्यालयों की प्रधानता महिलाओं के लिए निर्धारित करने की मांग की गई है।महिला महाविद्यालय के प्राचार्य से अपेक्षा की जाती है कि वह एक ओर शिक्षकों और कर्मचारियों और दूसरी ओर शिक्षकों और छात्रों के बीच घनिष्ठ समन्वय बनाए रखे।प्रधानाचार्य को महिला छात्रों के कल्याण का विशेष ध्यान रखने और उन्हें शिक्षा के अलावा ऐसी गतिविधियों में शामिल करने की भी आवश्यकता है, जो उन्हें सभी आयामों में उनके व्यक्तित्व के विकास में मदद करेंगे।यह तभी संभव हो सकता है जब प्राचार्य छात्रों के साथ व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखें।एक पुरुष प्राचार्य की तुलना में, एक महिला प्राचार्य इस नौकरी के लिए बेहतर है।पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, खंड III के अध्याय 19 में उल्लिखित प्राचार्य की शक्तियाँ और कार्य केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।प्रशासनिक निर्णय लेने के अलावा, एक प्राचार्य को संस्थान के समग्र विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करना चाहिए और ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां महिला छात्र समाज के महिला वर्ग को मुख्य राष्ट्रीय धारा में लाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर सकें।इस प्रकार, विवादित नियम का प्राथमिक उद्देश्य महिला महाविद्यालयों के सुचारू और कुशल संचालन का प्रावधान करना है।प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का लिंग एक कारक था।ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 15 (3) के दायरे में आएगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद

16 (2) का उल्लंघन नहीं करेगा। मेरी राय में, *शमशेर सिंह हुकुम सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य* ए. आई. आर. 1970 पी. एंड एच. 372 , में पूर्ण पीठ *द्वारा निर्धारित कानून और श्रीमती रघुबंस सौदागर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य* 1971 (1) एस. एल. आर. 688 में खण्ड पीठ द्वारा *की गई टिप्पणियां कानून* के *सही प्रस्ताव का प्रतिनिधित्व करती हैं।* ***इस* प्रकार**, प्रकार, मेरी राय में, विवादित नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 में निहित समानता खंडों का उल्लंघन नहीं करता है और रिट याचिकाओं को खारिज किया जा सकता है (टी. एच. बी. चलपति, जे. सहमत)।

(पैरा 63,64 और65)

यह मानते हुए कि यदि याचिकाओं के तर्क को स्वीकार किया जाना है तो यह काफी विसंगत होगा।यह न्यायालय पहले एक याचिका पर विचार करेगा और यह घोषणा करेगा कि विनियमन अधिकार *अधिकारातीत है,* लेकिन याचिकाकर्ताओं को कोई राहत देने में खुद को असहाय पाएगा क्योंकि खंड 28 की बाधा के कारण वे एक केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी हैं और उसके बाद उन्हें आवश्यक राहत प्राप्त करने के लिए न्यायाधिकरण जाना होगा। मेरी राय में, कानून ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था जहां याचिकाकर्ताओं को आवश्यक राहत पाने के लिए विभिन्न मंचों पर ले जाया जाएगा, सीधे न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर की जाएगी और विनियमन के अधिकार को सफलतापूर्वक चुनौती दी जाएगी, उन्हें न्यायाधिकरण से आवश्यक राहत मिलेगी। इसलिए, मैं पहली प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करता हूं और मानता हूं कि वर्तमान याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। परिणामस्वरूप याचिकाएं याचिकाकर्ताओं को इस उद्देश्य (प्रति अल्पसंख्यक) के लिए स्थापित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दी जाती हैं।

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया कि मैं अपने विद्वान सहकर्मी न्यायाधीश से सहमत हूं कि यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत अपनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सामान्य रूप से अधिक घोषणात्मक रिट नहीं देता है या जारी नहीं करता है जब तक कि पीड़ित व्यक्ति ने मांग नहीं की है और उसे परिणामी राहत भी दी जा सकती है, लेकिन किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय राहत को ढाल सकते हैं और केवल घोषणा के माध्यम से इसे प्रदान कर सकते हैं।हालांकि, वर्तमान मामले में, पहले ही यह माना जा चुका है कि रिट याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं और इसलिए, याचिकाकर्ताओं को घोषणा के माध्यम से कोई राहत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

(पैरा 69)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया कि मैंने अपने न्यायाधीशों के निर्णयों को ध्यान से देखा है और उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के संबंध में, मैं न्यायमूर्ति सेठी से सहमत हूं कि *विवादित विनियमन* अधिकार अधिकारातीत और असंवैधानिक है।इस विनियमन के पीछे कोई ऐसी धारणा नहीं है जो महिला महाविद्यालय में शिक्षण कर्मचारियों के सबसे वरिष्ठ सदस्य को केवल इस आधार पर उसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में नियुक्त होने से वंचित करे कि वह एक पुरुष सदस्य है, चाहे वह अन्यथा उपयुक्त और योग्य क्यों न हो।शिक्षण कर्मचारियों की एक सामान्य वरिष्ठता सूची होती है और कर्मचारियों का एक पुरुष सदस्य महिला महाविद्यालय में एक विभाग का प्रमुख हो सकता है लेकिन उसके प्राचार्य नहीं।यह मेरे लिए बहुत ही असंगत है।हालांकि, किसी पुरुष को छात्रावास वार्डन या महिला कॉलेज में प्रभारी डॉक्टर के रूप में नियुक्त नहीं करने पर विचार अलग-अलग हैं।मुझे आगे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है और सेठी, न्यायमूर्ति द्वारा दर्ज किए गए विस्तृत कारणों के लिए यह माना जाना चाहिए कि विवादित विनियमन असंवैधानिक है।

(पैरा 72)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 15 (3) के प्रावधान, जिनका उद्देश्य महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करना है, का उपयोग पुरुषों के सिर काटने के लिए तलवार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी दिए गए मामले में, इस तरह के प्रावधान का उपयोग किसी पुरुष को पदोन्नति प्राप्त करने के उसके वैध अधिकार से वंचित करने के लिए किया जा सकता है और जब भी उसकी बारी आती है तो 'लेडीज कॉलेज' में रिक्ति पैदा करके गलत उद्देश्यों के साथ प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।जबकि महिलाओं के लिए कुछ संख्या में प्राचार्य के पदों के आरक्षण पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, महिला महाविद्यालय में प्राचार्य के पद को केवल एक महिला के लिए आरक्षित करने के लिए बाध्यकारी कारण होने चाहिए। जब तक और अन्यथा आश्वस्त करने वाले और बाध्यकारी कारण नहीं हैं, तब तक आरक्षण को केवल इस आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है कि संविधान का अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं के संबंध में विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।वर्तमान समय में महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं और वे कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका में शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं।उन्होंने न केवल पुलिस में बल्कि रक्षा बलों में भी अपनी उचित जगह ले ली है। चला गये वे दिन हैं जब महिलाएं रसोई तक ही सीमित रहती थीं या खुद को पूरी तरह से असहाय परिस्थितियों में पाती थीं।वे राष्ट्रों के भाग्य को आकार देने के लिए प्रमुख पदों पर आसीन हुए हैं।इसलिए, मुझे यह कहने में भी साहस हो रहा है कि पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा नियम 5 के रूप में बनाया जाने वाला यह विशेष प्रावधान आरक्षण केवल एक कालातीतता है।

(पैरा 73)

अभिनिर्धारित किया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत गठित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का पंजाब विश्वविद्यालय पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और वह विश्वविद्यालय के विनियमन को उसकी अयोग्यता के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के लिए बाध्यकारी नहीं घोषित नहीं कर सकता है और न ही वह विनियमन को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।पंजाब विश्वविद्यालय को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। न्यायाधिकरण केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को कॉलेज की मान्यता रद्द करने या इसकी संबद्धता वापस लेने की अप्रिय स्थिति पैदा करने के खतरे में डाले बिना याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दे सकता है। यदि संबद्धता वापस ले ली जाती है तो कॉलेज को बंद कर दिया जाना चाहिए और यह याचिकाकर्ताओं या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और बड़े पैमाने पर छात्र समुदाय के हित में बिल्कुल नहीं है।इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि पंजाब विश्वविद्यालय इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है और पंजाब विश्वविद्यालय के किसी भी नियम या विनियमन को इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है और इस न्यायालय का निर्णय पंजाब विश्वविद्यालय सहित इन रिट याचिकाओं में सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी है।

(पैरा 85)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया कि मेरी राय है कि उच्च न्यायालय और केवल उच्च न्यायालय के पास इसकी शक्ति है की पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड III के विनियमन V, अध्याय VII (ii) की संवैधानिकता का निर्णय लें।

(पैरा 95)

इसके अलावा, महिला महाविद्यालय में प्राचार्य का पद आरक्षित करना वास्तव में प्रशंसनीय और सराहनीय है।पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड III 1985 के अध्याय XIX में उल्लिखित किसी संबद्ध कॉलेज के प्राचार्य की शक्तियों और कार्यों के अलावा।, किसी कॉलेज के प्राचार्य से, चाहे वह संबद्ध हो या न हो, कॉलेज के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करने और इसके काम पर सामान्य नियंत्रण रखने, कुछ शिक्षक-छात्र संबंध सुनिश्चित करने, छात्रों के कल्याण और छात्रों के बीच स्वस्थ रुचि को बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है। एक महिला महाविद्यालय में, इन कार्यों को प्रभावी ढंग से किया जा सकता है यदि कॉलेज का नेतृत्व करने वाली कोई महिला प्राचार्य हो। यदि उनका प्रिंसिपल भी उनके लिंग का हो तो छात्राओं को घरेलू और मैत्रीपूर्ण माहौल महसूस होता है और वे अपनी शिकायतों और लिंग के कारण उनके सामने आने वाली समस्याओं को खुलकर बता सकती हैं। इस प्रकार, वर्गीकरण उचित है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत वर्गीकरण को बनाए रखने के लिए पी.बी.विजया में न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी द्वारा प्रतिपादित मानदंडों को पूरा करता है। इसलिए, मेरा विचार है कि विनियमन 5 अध्याय 7 (2) जो महिला

प्राचार्य की नियुक्ति का प्रावधान करता है, वैध, संवैधानिक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 का उल्लंघन नहीं करता है।

(पैरा 138 &139)

माना जाता है कि मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, रिट याचिकाओं को बनाए रखने योग्य माना जाता है (न्यायमूर्ति एन. के. सोधी, विपरीत)।

पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड III के विनियम 5 अध्याय VII (ii) को असंवैधानिक होने के कारण रद्द *कर दिया* गया है और याचिकाकर्ताओं के सेवा अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है, जो अन्य लोगों के साथ पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं, यदि अन्यथा पदोन्नति के लिए पात्र हैं (न्यायमूर्ति जी. एस. अधिकारातीत टी. एच. बी. चलपति, विपरीत)।

(पैरा 142 &143)

याचिकाकर्ता की ओर से मंसूर अली, अधिवक्ता, एस. डी. शर्मा, सुरिंदर शर्मा और *प्रेम कुमार, अधिवक्ता*

प्रतिवादीओं की ओर से जे. एस. सिघु और राजिंदर गोएड एडवोकेट्स के *साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल।*

निर्णय

न्यायमूर्ति आर. पी. सेठी

1. अब्राहम लिंकन ने अपने गेटिसबर्ग संबोधन में कहा, "सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। इन शब्दों को थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता की घोषणा में दोहराया था और 1776 से यह कथन संयुक्त राज्य अमेरिका में पीढ़ियों द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है।स्वतंत्रता और समानता फ्रांसीसी क्रांति के घड़ी शब्द थे और वे नींव थीं जिन पर इंग्लैंड का महान मैग्ना कार्टा खड़ा था।मानवाधिकार राज्यों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 7 घोषित किया गया।कानून के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं।" जेनिंग्स ने अपने संविधान के कानून (5वें संस्करण पृष्ठ 50) में कहा, "कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि समान लोगों के बीच कानून समान होना चाहिए और समान रूप से प्रशासित होना चाहिए, जैसा कि समान व्यवहार किया जाना चाहिए।" डाइस के संविधान के कानून, (10वें संस्करण पृष्ठ 202) ने कानून के शासन के अपने प्रसिद्ध सिद्धांत के परिणामस्वरूप कानून के समक्ष समानता पर जोर दिया।

समानता का विचार भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का हृदय और आत्मा है। हमारे संविधान की प्रस्तावना समानता का वादा करती है जिसे संविधान के भाग III में निहित अनुच्छेद 14 से 16 में समझाया और विस्तृत किया गया है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था के तहत जिस समानता पर विचार किया गया है वह समान लोगों के बीच है और समान रूप से स्थित है। सामान्य तौर पर समानता को सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है और यह संविधान में वर्णित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है।

2. संविधान का अनुच्छेद 16 इस गारंटी के साथ राज्य के तहत किसी भी पद पर रोजगार या प्रवेश से संबंधित मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।यह गारंटी अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सामान्य सिद्धांतों के विशिष्ट अनुप्रयोग का विस्तार है।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गारंटी के एक ही संवैधानिक लक्ष्य का हिस्सा बनने वाले अनुच्छेद 14,15 और 16 एक दूसरे के पूरक हैं।संविधान का अनुच्छेद 15 केवल लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और अन्य विचारों के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव करने से मना नहीं करता है।

3. राज्य के तहत रोजगार के मामले में समानता की संवैधानिक गारंटी के आलोक में, हमें पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर केअध्याय VII (ii) में निहित विनियमन 5 की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए कहा जाता है।यह मामला 9 जनवरी, 1995 के खण्ड पीठ के आदेश के अनुसार इस पीठ को भेजा गया है-1, जो इस प्रकार हैः—

4. "पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड III अध्याय-VII (ii) के विनियमन 5 की संवैधानिक वैधता को भेदभाव के आधार पर चुनौती दी गई है और इस प्रकार यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के प्रावधानों का उल्लंघन है।याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने *वाल्टर अल्फर्ड बैद, सिस्टर ट्यूटर (नर्सिंग) इरविन अस्पताल, नई दिल्ली बनाम भारत संघ और अन्य 1977 एस. एल. जे. 55* में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है।हालाँकि, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हमारा ध्यान गुजरात उच्च न्यायालय के 1988 के श्रम और औद्योगिक मामलों 1465 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले की ओर आकर्षित किया है और इस न्यायालय के एक पूर्ण पीठ के फैसले को ए. आई. आर. 1970 पंजाब और हरियाणा 373 के रूप में रिपोर्ट किया है। पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड को देखने के बाद, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदु को एक बड़ी पीठ द्वारा एक आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता है।इस तथ्य के बावजूद कि इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के उपरोक्त निर्णय को अलग-अलग माना जा सकता है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस मुद्दे पर एक आधिकारिक निर्णय के लिए, याचिकाकर्ता द्वारा विनियमन 5 की संवैधानिक वैधता के बारे में उठाई गई याचिका के लिए एक बड़ी पीठ द्वारा

निर्धारण की आवश्यकता है।प्रथमदृष्टया हमारी राय है कि उपरोक्त विनियमन भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण भेदभावपूर्ण है। स्वीकार किया।तीन से अधिक न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा सुना जाना।"

5. पक्षकारों की ओर से उपस्थित उनके वरिष्ठ वकील के विवाद की सराहना करने के आदेश में, याचिकाकर्ता द्वारा 1994 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 1,694 में आरोप लगाए गए कुछ तथ्यों का उल्लेख करना लाभदायक होगा। उस मामले में याचिकाकर्ता का दावा है कि वह 15 जनवरी, 1968 को गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़, सेक्टर 11, चंडीगढ़ में संस्कृत में व्याख्याता के रूप में शामिल हुआ था।बाद में उन्हें यू. जी. सी. द्वारा जुलाई, 1968 में पी. एच. डी. की डिग्री के लिए स्नातकोत्तर में पोस्ट डॉक्टरल का संचालन करने के लिए चुना गया और उन्हें दो साल के लिए संस्कृत विभाग में अनुसंधान परियोजना के अलावा शिक्षण का काम सौंपा गया।छात्रवृत्ति की अवधि पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता 13 जुलाई, 1970 को गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़, सेक्टर 11, चंडीगढ़ में नियमित रूप से व्याख्याता के रूप में शामिल हुए।उन्होंने स्नातक और ऑनर्स कक्षाओं को पढ़ाने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा व्याख्याता के रूप में मंजूरी देने का दावा किया है।याचिकाकर्ता आगे दावा करता है कि उसके पास न केवल पीएचडी की डिग्री है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय स्तर, अनुसंधान संगठनों में स्वीकार किए गए कई शोध पत्र भी हैं।संस्कृत ओरिएंटल लिटरेचर में राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध कार्य के कई प्रकाशन और उनका श्रेय होने का दावा किया जाता है।उनका तबादला कर दिया गया और 17 अगस्त, 1987 को उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गर्ल्स, सेक्टर 42, चंडीगढ़ में संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, वे विभाग के प्रमुख बने रहे।वह चंडीगढ़ में सबसे वरिष्ठ व्याख्याता और शीर्ष मेधावी उम्मीदवार होने का दावा करते हैं।सेक्टर 42 कॉलेज में प्राचार्य का एक पद, जिसमें याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किया गया था, 31 अक्टूबर, 1991 को खाली हो गया था।याचिकाकर्ता को पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर के विवादित नियम के आधार पर उपरोक्त पद पर नियुक्त होने का हकदार नहीं ठहराया गया था, जो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संचालित कॉलेजों में स्वीकार्य रूप से लागू होता है, जिसके निर्णय से उसे अवगत कराया गया था।संलग्नक पी/1 और नियम पर भेदभावपूर्ण और संविधान के भाग III में निहित संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करने का आरोप है। यह तर्क दिया जाता है कि जब लड़कों के कॉलेज, सेक्टर 11, चंडीगढ़ में प्राचार्य का पद खाली हो गया, तो सुश्री एस. कल्कियर, एक संगीत शिक्षिका, को प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया, जो संगीत के विषय में एम. ए. भी नहीं थीं।याचिकाकर्ता ने ओ. ए. संख्या 1110/सी. एच./एस. 9 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ का दरवाजा खटखटाया, जिसमें 12 नवंबर, 1991 को एक निर्देश जारी करते हुए निर्णय लिया गया कि दोनों कॉलेजों में आदेश प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर प्राचार्य की नियमित नियुक्ति की जाए।पदों को भरने के बजाय, प्रतिवादी संख्या 3 ने न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 1990 का एस. एल. आर. संख्या 612-613 दायर

किया और 31 जनवरी, 1992 के अपने आदेशों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि आवेदक-संलग्नककर्ता के मामले को चंडीगढ़ में सरकारी कॉलेजों के प्राचार्य के रूप में नियुक्त करने के लिए विचार किया जाए।उनकी पहली याचिका, 1990 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 17410 थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने 1992 की सी. एम. संख्या 1983 दायर की थी।मुख्य रिट याचिका और सी. एम दोनो को 5 मार्च, 1992 को आवेदन का निपटारा किया गया जिसमें कहा गया थाः—

"उच्चतम न्यायालय के निर्देश को ध्यान में रखते हुए, निहित; संलग्नक पी/2 में जहां उच्चतम न्यायालय ने यू. टी. प्रशासन को प्राचार्य के रूप में नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता सहित योग्य व्यक्तियों के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया है, इस स्तर पर इस रिट याचिका में कोई आदेश आवश्यक नहीं है।यदि मामले पर विचार करने के बाद पारित आदेश याचिकाकर्ता के लिए प्रतिकूल है, तो वह सलाह दिए गए तरीके से दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा।इस रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।"

6. अपने उत्तर में, जे प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता एक यू. टी. सरकारी कर्मचारी होने के नाते केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी संबद्ध कॉलेज में स्थानांतरित किया जा सकता है।यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार एक पुरुष शिक्षक को महिला महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।यह तर्क दिया जाता है कि महिला महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सिंडिकेट द्वारा बनाए गए नियम कानूनी, वैध और संवैधानिक हैं।महिला शिक्षकों को प्रधान छात्रावास अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है ताकि छात्राएँ प्रशासनिक और कार्यकारी रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उनके साथ खुलकर बात कर सकें।याचिकाकर्ता को केवल लड़कों के लिए बने सरकारी कॉलेज में प्राचार्य के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

7. अपने उत्तर में, प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को वर्तमान याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह कनिष्ठ है और प्रतिवादी-प्रशासन द्वारा प्रसारित व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 23 में दिखाया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के नाम पर विचार किया गया था और तदनुसार संलग्नक पी/2 के माध्यम से उसे सूचित किया गया था।उन्हें सूचित किया गया कि डी. पी. सी. द्वारा तैयार की गई योग्यता में उनकी ग्रेडिंग कम होने के कारण उन्हें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सरकारी कॉलेजों में प्राचार्य नियुक्त नहीं किया जा सका।उनके सेवा जीवन के बारे में अन्य कथनों का उचित जवाब दिया गया है।पंजाब विश्वविद्यालय के विवादित नियम की शक्तियों के बारे में कोई औचित्य नहीं दिया गया है।

8. अपनी प्रतिकृति में, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि वह वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 23 पर नहीं है, बल्कि क्रम संख्या 1 पर है।प्रतिवादी संख्या 3 पर आरोप है कि उसने 15 जुलाई, 1968 से 13 जुलाई, 1970 तक याचिकाकर्ता की सेवा को नहीं गिना।उनका दावा है कि उन्हें इस अवधि के लिए दो वेतनवृद्धि दी गई है जैसा कि कथित तौर पर प्रतिवादी द्वारा संलग्नक आर/2 में स्वीकार किया गया है।

9. याचिकाकर्ता सत्य नारायण सिंगला ने 1994 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 17185 में विवादित नियम को निरस्त करने के लिए इसी तरह का अनुरोध किया है।वह प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए उपलब्ध सबसे वरिष्ठ व्याख्याता होने का दावा करता है। समूह 'ए' और समूह 'बी' कॉलेज संवर्ग के प्राचार्य और व्याख्याताओं की अंतिम वरिष्ठता सूची पर निर्भरता रखी गयी जिसमें उन्हें क्रम संख्या 3 में दिखाया गया है।क्रम संख्या 1 और 2 में दिखाए गए व्यक्तियों को पहले ही प्राचार्य के रूप में पदोन्नत किया जा चुका है।

10. मामले में बहस किए गए मुख्य विवाद से निपटने से पहले, हमें रिट याचिका की स्थिरता के संबंध में प्रारंभिक आपत्तियों के रूप में दोतरफा हमले का निपटारा करने की आवश्यकता है।यह तर्क दिया जाता है; -

(i) सबसे पहले, कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के प्रावधान को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका विचारणीय नहीं थी क्योंकि प्रतिवादी-केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के कर्मचारी, याचिकाकर्ता के रूप में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं; और

(ii) दूसरा, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने केवल एक घोषणा के लिए कहा है, उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधानों के तहत कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

11. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम') को विवादों के निर्णय और परीक्षण के लिए अधिनियमित किया गया था और संघ या किसी राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में या सरकार के नियंत्रण में या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रित किसी निगम, जिसके लिए अधिनियम विशेष रूप से लागू किया गया है, के मामलों के संबंध में लोक सेवा और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में शिकायतें के परीक्षण के लिए अधिनियमित किया गया था ।अधिनियम की खंड 1 का विस्तार जहां तक यह केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय से संबंधित है, पूरे भारत में और जहां तक यह राज्यों के लिए प्रशासनिक न्यायालयों से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में है।केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना अधिनियम की खंड 4 के तहत की गई है और इसे अधिनियम द्वारा या उसके तहत न्यायाधिकरण को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकरण

का उपयोग करना है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण भारत के सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग कर सकता हैः—

"(क) किसी भी अखिल भारतीय सेवा या संघ की किसी सिविल सेवा या संघ के तहत किसी सिविल पद या रक्षा या रक्षा सेवाओं से जुड़े पद पर भर्ती, और भर्ती से संबंधित मामले, दोनों ही मामलों में, एक नागरिक द्वारा भरा गया पद है;

(ख) सभी सेवा मामले से संबंधित -

(i) किसी भी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य; या

(ii) संघ की किसी सिविल सेवा या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति (जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य नहीं है) या खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति; या

(iii) संघ या किसी राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम (या समाज) के मामलों के संबंध में एक नागरिक (जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है जो किसी रक्षा सेवा या रक्षा से जुड़े पद पर नियुक्त किया गया है और ऐसे सदस्य व्यक्ति या नागरिक की सेवा से संबंधित है।

(ग) खंड (बी) के उप-खंड (ii) या उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी भी सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति से संबंधित संघ के मामलों के संबंध में सेवा से संबंधित अन्य सभी मामले, एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सेवाएं ऐसी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या किसी निगम (या सोसायटी) या अन्य निकाय द्वारा केंद्र सरकार के निपटान में रखा गया है।

(स्पष्टीकरण।—शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस उप-धारा में 'संघ' के संदर्भों का अर्थ किसी केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भों को भी शामिल करने के रूप में लगाया जाएगा।"

केंद्र सरकार के पास भारत के क्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण को अधिनियम के प्रावधान को लागू करने की और शक्ति है, ऐसी तारीख से जो उस ओर से जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए।जैसा कि अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण उस तारीख को और उससे प्रभावी होने के लिए भी अधिकृत है जिससे अधिनियम का प्रावधान किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम या सोसायटी पर लागू होता है, अधिनियम की उप-धारा 3 के तहत निर्दिष्ट मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों द्वारा उस तारीख से तुरंत पहले सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकरण का प्रयोग

किया जा सकता है। हमारे समक्ष यह स्वीकार किया गया है कि जहां तक प्रतिवादी-केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का संबंध है, यह अधिनियम स्वीकार्य रूप से लागू है, लेकिन जहां तक पंजाब विश्वविद्यालय, प्रतिवादी संख्या 1, संबंधित है, लागू नहीं किया गया है।इसे ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड III के अध्याय VI (2) के नियम 5 को रद्द करने के लिए दावा की गई राहत, को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा उसके समक्ष दायर याचिका में नहीं दिया जा सकता है, जहां पंजाब विश्वविद्यालय को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जैसा कि माना जाता है कि यह न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।यह सच है कि न्यायाधिकरण काल्पनिक रूप से उच्च न्यायालय और सेवा मामलों में अन्य न्यायालयों के लिए विकल्प है, जो नियमों की वैधता के प्रश्न सहित तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायाधिकरण के पास एक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियम की संवैधानिकता निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र था जो इसकी अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है।यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि न्यायाधिकरण सक्षम अधिकार क्षेत्र के सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा घोषित कानून से बाध्य है।इस संदर्भ में, तर्कों को एक प्रार्थना के साथ संबोधित किया गया है कि केवल उल्लंघनकारी नियम को अधिकार अधिकारातीत घोषित किया जाए और याचिकाकर्ता के सेवा मामलों के संबंध में शेष दावे को न्यायाधिकरण द्वारा तय और निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया जाए।

12. '*ओम प्रकाश पुरी बनाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग* 1987 (3) एसएलआर 841 में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय ने स्वयं यह अभिनिर्धारित किया कि "प्रशासनिक न्यायालय अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय, इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों की शिकायत पर विचार नहीं कर सकता है।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक ऐसा निकाय है जिसे केंद्र सरकार के नियंत्रण में राज्य या निकाय का एक साधन कहा जा सकता है।फिर भी यह सरकार का विभाग नहीं है और इसके कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी या संघ के तहत कोई पद धारण करने वाले कर्मचारी नहीं हैं।"

13. यह सच है कि हमारे समक्ष याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उल्लंघनकारी नियम की संवैधानिकता की घोषणा का परिणाम विश्वविद्यालय और उसके कर्मचारियों को प्रभावित करेगा।इसलिए अकेले उच्च न्यायालय के पास प्रतिवादी विश्वविद्यालय की तरह प्राधिकरण द्वारा अधिनियमित और निगमित प्रावधान की वैधता और संवैधानिकता का परीक्षण करने का अधिकार क्षेत्र है, जो स्वीकार्य रूप से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।पंजाब विश्वविद्यालय के संबंध में अनुच्छेद 226 की प्रयोज्यता को केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के दायरे या नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता है।इसलिए प्रतिवादी की यह आपत्ति बिना किसी आधार के स्वीकार्य नहीं है।

14. जहां तक रिट याचिका की स्थिरता के बारे में तर्क का संबंध है, जहां तक यह उल्लंघनकारी नियम की संवैधानिकता के संबंध में केवल एक घोषणा की मांग करता है, इस तथ्य पर ध्यान दें जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता जो अन्यथा अपने सेवा मामलों के संबंध में न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं, भले ही वे किसी अन्य राहत के लिए प्रार्थना करें, इस न्यायालय द्वारा अधिनियम की खंड 28 के तहत शामिल अधिकार क्षेत्र की बाधा को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को उचित मामलों में किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी, उचित मामलों में किसी भी सरकार को, भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा-वारंटो और उत्प्रेषण की प्रकृति के रिट शामिल हैं। । यह अनुच्छेद निश्चित रूप से व्यापक रूप से लिखा गया है और उच्च न्यायालय पर उसके अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कोई रोक या प्रतिबंध नहीं लगाता है। इसलिए, उच्च न्यायालय इंग्लैंड में समझी और प्रचलित विशेषाधिकार रिट के अलावा अन्य निर्देश या आदेश या रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के पास प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार विशिष्ट और जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राहत को ढालने की शक्ति है।

इंग्लैंड में प्रचलित घोषणा की केवल राहत न देने के रूढ़िवादी नियम में वर्ष 1852 में परिवर्तन हुआ जब चांसरी प्रक्रिया अधिनियम लागू किया गया और जिसकी खंड 50 में प्रावधान किया गयाः—

"कोई भी मुकदमा इस आधार पर आपत्ति के लिए खुला नहीं होगा कि केवल एक घोषणात्मक डिक्री या आदेश की मांग की जाती है और सिविल अदालतों के लिए परिणामी राहत दिए बिना अधिकार की बाध्यकारी घोषणा करना वैध होगा।"

राहत की घोषणा करने के बारे में कानून का वर्णन इंग्लैंड के हेल्सबरीर्स कानूनों में निम्नानुसार किया गया हैः—

"निर्णय और आदेश आम तौर पर वास्तविक परिस्थितियों में अधिकारों का निर्धारण होते हैं जिनका न्यायालय संज्ञान लेता है और लागू होने योग्य कुछ विशेष राहत देता है। हालाँकि, कभी-कभी उन तथ्यों की स्थिति पर न्यायिक निर्णय प्राप्त करना सुविधाजनक होता है जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुए हैं, या किसी पार्टी के अधिकारों की घोषणा उनके प्रवर्तन के संदर्भ के बिना प्राप्त करना सुविधाजनक है। ऐसे केवल घोषणात्मक निर्णय अब दिए जा सकते हैं, और न्यायालय अधिकार की बाध्यकारी घोषणा करने के लिए अधिकृत है चाहे कोई परिणामी राहत का दावा किया जा सकता है या नहीं; घोषणा करने की एक सामान्य शक्ति है, चाहे कार्रवाई का कोई कारण हो या नहीं, और किसी भी पार्टी के कहने पर जो घोषणा के विषय में रुचि रखता है, और हालांकि परिणामी राहत का दावा नहीं किया गया है, या छोड़ दिया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है,

लेकिन यह आवश्यक है कि कुछ राहत मांगी जानी चाहिए या कुछ ठोस राहत का अधिकार स्थापित किया जाना चाहिए।”

15. *शॉन सिंह रॉय बनाम एमटीसी दाखो* में, प्रिवी काउंसिल ने अभिनिर्धारित किया कि "एक घोषणात्मक डिक्री तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि कुछ परिणामी राहत का अधिकार न हो, जो यदि माँगा गया हो, तो न्यायालय द्वारा दिया गया हो सकता है, या जब तक कि कुछ मामलों में किसी अन्य न्यायालय में राहत के लिए एक कदम के रूप में अधिकार की घोषणा की आवश्यकता न हो।”

16. विशिष्ट राहत अधिनियम, 1977 की खंड 42 ने उन परिस्थितियों के बारे में कानून में बदलाव किया जिनके तहत केवल एक घोषणात्मक डिक्री दी दी जा सकती है। *रामराघावरेड्डी बनाम शेषु रेड्डी* ए. आई. आर. 1967 एस. सी., 436 मामले में उच्चतम न्यायालय ने विशिष्ट राहत अधिनियम की खंड 42 पर विचार किया और अभिनिर्धारित कियाः—

“हमारी राय में विशिष्ट राहत अधिनियम की खंड 42 उन मामलों के बारे में संपूर्ण नहीं है जिनमें एक घोषणात्मक डिक्री दी जा सकती है और न्यायालयों को खंड की आवश्यकताओं से स्वतंत्र रूप से ऐसी डिक्री देने की शक्ति है।”

विशिष्ट राहत अधिनियम,1963 की खंड 34 ने पूर्ववर्ती अधिनियम की खंड 42 को प्रतिस्थापित किया और निम्नलिखित प्रावधान किएः “किसी भी कानूनी चरित्र, या किसी संपत्ति के रूप में किसी भी अधिकार का हकदार कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है, जो इस तरह के चरित्र या अधिकार के लिए अपने अधिकार से इनकार कर रहा है, या इनकार करने में रुचि रखता है, और न्यायालय अपने विवेक से उसमें घोषणा कर सकता है कि वह इतना हकदार है, और अभियोक्ता को ऐसे मुकदमे में कोई और राहत मांगने की आवश्यकता नहीं हैः बशर्ते कि कोई भी न्यायालय ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगा जहां अभियोक्ता, केवल स्वामित्व की घोषणा के अलावा और राहत लेने में समर्थ होने के कारण, ऐसा करने से चूक जाता है।”

17. घोषणात्मक फरमानों और निषेधाज्ञाओं द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट राहत के अनुदान के अंतर्निहित सिद्धांतों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिटों की राहत के अनुदान के मामलों में कुछ सीमाओं और शर्तों के साथ लागू कहा जा सकता है जैसा कि संविधान के तहत वर्णित है और कानूनी घोषणाओं द्वारा सीमित है।

18. मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने पर, यह कहा जा सकता है कि न्यायालय सामान्य रूप से केवल घोषणात्मक रिट नहीं देंगे या जारी नहीं करेंगे, जब तक कि पीड़ित व्यक्ति ने उन्हें उपलब्ध आनुषंगिक राहत के लिए नहीं कहा हो। हालाँकि, इस नियम को आत्यन्तिक नहीं माना जा सकता है और यह अपवादों के अधीन है कि जहां अनुच्छेद 226 के संदर्भ में घोषणा के बावजूद,

याचिकाकर्ता अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कुछ कानूनी प्रतिबंधों के कारण आगे परिणामी राहत का हकदार नहीं है और उस स्थिति में वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के संदर्भ में उसके द्वारा अनुरोध किए गए राहत से वंचित नहीं हो सकता है।असाधारण मामलों में, उच्च न्यायालय यह संतुष्ट होने के बाद कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति को किसी अधिनियम (बहुमत के अनुसार) द्वारा बनाई गई अधिनियमी बाधा या अधिकार क्षेत्र के अवरोध के कारण किसी अन्य परिणामी राहत के लिए प्रार्थना करने से रोका गया था इसलिए उच्च न्यायालय को केवल एक घोषणात्मक रूप में राहत देने के लिए उचित ठहराया जा सकता है।

19. इस मामले के तथ्य असाधारण और विशिष्ट प्रकृति के हैं।जब तक विवादित नियम 5 को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता है, तब तक याचिकाकर्ता इस रिट याचिका में उनके द्वारा प्रस्तावित सेवा मामलों के संबंध में कोई राहत देने के हकदार नहीं हैं।इसकाःअधिनियम की खंड 28 के तहत अधिकारिता की बाधा को देखते हुए इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता की सेवा शर्तों के लिए क्रमिक राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। न्यायाधिकरण, जिसके पास अन्यथा दावे पर विचार करने और याचिकाकर्ताओं को न्यायिक सहायता प्रदान करने का अधिकार क्षेत्र है, प्रतिवादी-राष्ट्रीय क्षेत्र प्रशासन तत्काल मामले में, इस तथ्य के कारण कि उल्लंघनकारी प्रावधान का लेखक यानी पंजाब विश्वविद्यालय इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है, उल्लंघनकारी प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा, यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण के बीच शटल कॉक नहीं बनाया जा सकता है और अंततः तकनीकीताओं की आड़ में उचित राहत का दावा करने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है जैसा कि हमारे सामने पेश किया गया है। मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, रिट याचिका को इस तथ्य के बावजूद खारिज नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने केवल आपत्तिजनक नियम 5 की संवैधानिकता और अधिकार के बारे में एक घोषणा की मांग की है, जिसे इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

20. पक्षों के प्रतिद्वंद्वी विवाद की सराहना और उल्लंघनकारी नियम की संवैधानिकता निर्धारित के लिए, नियम की एक झलक होना आवश्यक है जो नीचे दिया गया हैः—

"महिला महाविद्यालय की प्राचार्य एक ऐसी महिला होगी जिसके पास प्रथम या द्वितीय श्रेणी में कम से कम स्नातकोत्तर की डिग्री या महाविद्यालय में शिक्षण के अनुभव के साथ समकक्ष डिग्री होगी।यह नियम उन महिला महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगा जिनके पुरुष या महिला प्राचार्यों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।बशर्ते कि उनकी सेवानिवृत्ति पर एक योग्य महिला प्राचार्य नियुक्त की जाएगी।"

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उक्त नियम की संवैधानिकता को मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में भेदभाव के आधार पर चुनौती दी गई है।अनुच्छेद 15 का अधिदेश धर्म,

नस्ल, जाति, लिंग, स्थान या जन्म या उनमें से कोई भी के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। संविधान के अनुच्छेद 16 में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि राज्य के तहत किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी और यह कि कोई भी नागरिक, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर, राज्य के तहत किसी भी रोजगार या नियुक्ति के संबंध में अयोग्य या भेदभाव नहीं किया जाएगा।अनुच्छेद 15 का उप अनुच्छेद (3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए अधिकृत करता है।महिलाओं के पक्ष में विशेष प्रावधान करने की शक्ति को संविधान के अनुच्छेद 16 द्वारा किसी भी तरह से कम नहीं किया गया है।

21. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दो लिंगों के बीच भौतिक असमानताएं हैं जिन्हें श्री जस्टिस ब्रेवर ने *कर्ट मुलर बनाम ओरेगन राज्य* 5208 अमेरिका '412 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायाधीशालय के लिए बोलते हुए नोट किया था, जिन्होंने कहा थाः

"दोनों लिंग शरीर की संरचना में, प्रत्येक द्वारा किए जाने वाले कार्यों में, शारीरिक शक्ति की मात्रा में, लंबे समय तक निरंतर श्रम करने की क्षमता में, विशेष रूप से जब खड़े होकर किया जाता है, भविष्य की भलाई पर जोरदार स्वास्थ्य का प्रभाव भिन्न होता है दौड़, आत्मनिर्भरता जो किसी को पूर्ण अधिकारों का दावा करने और संघर्ष या निर्वाह को बनाए रखने की क्षमता में सक्षम बनाती है। यह अंतर कानून में अंतर को उचित ठहराता है, और उस अंतर को बरकरार रखता है जो उस पर आने वाले कुछ बोझों की भरपाई के लिए बनाया गया है।"

22. महिलाओं के पक्ष में विशेष प्रावधान को उचित ठहराने के लिए न्यायाधीश ने कहा थाः

"स्पष्ट है कि महिला की शारीरिक संरचना और मातृ कार्यों का प्रदर्शन उसे निर्वाह के संघर्ष में नुकसान पहुँचाता है।यह विशेष रूप से तब सच होता है जब मातृत्व का बोझ उस पर होता है इन मामलों से दूसरे लिंग से अलग, उसे स्वयं द्वारा एक वर्ग में उचित रूप से रखा जाता है, और उसकी सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून को बनाए रखा जा सकता है, तब भी जब पुरुषों के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है, और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है।"

यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ बनाम बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 321 में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया कि हालाँकि, अनुच्छेद 14 सामान्य है और इसे अन्य प्रावधानों के साथ पढ़ने की आवश्यकता है जो मूल अधिकार का दायरा निर्धारित करते हैं।लिंग को ठोस वर्गीकरण माना जाता था और हालांकि सामान्य रूप से भेदभाव हो सकता था, संविधान ने स्वयं महिलाओं और बच्चों के मामले में विशेष प्रावधान का प्रावधान किया था।अनुच्छेद 15 (1) और 16 (2) का संयुक्त अध्ययन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा कि जो वर्जित है वह केवल लिंग के आधार पर भेदभाव है।

23. *रघुबंस सौदागर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1971 (1) एसएलआर 688* के मामले में इस न्यायालय ने कहा, "यदि लिंग के कारण कई अन्य कारक जुड़ जाते हैं और विचार वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए एक उचित संबंध बनाते हैं तो अनुच्छेद 15 और 16 (2) के प्रतिबंध को आकर्षित करना संभव नहीं है।" इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, इस न्यायालय *'दत्तात्रेय मोतीराम मोरे बनाम बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1953 बॉम्बे 341'* में बॉम्बे उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया था।

24. *गिरधर गोपाल बनाम राज्य ए. आई. आर. 1953 एम. बी. 147'* में, यह कहा गया था कि "यदि भेदभाव केवल अनुच्छेद 15 (1) में बताए गए आधारों पर ही नहीं, बल्कि उचितता, सार्वजनिक नैतिकता, शालीनता, शिष्टाचार और ईमानदारी के विचारों पर भी आधारित है, तो इस तरह के भेदभाव वाले कानून अनुच्छेद 15 (1) के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे।इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी महिला पर उसकी शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल को खंड 354 के तहत दंडनीय बनाया गया है, न केवल इसलिए कि महिलाएँ महिलाएँ हैं, बल्कि ऊपर बताए गए कारकों के कारण भी।"

25. अनुच्छेद 15 और 16 संबंधित निषेध लगाने में समानता की गारंटी को सीमित करते हैं जबकि अनुच्छेद 14 संदर्भ में सामान्य है।अनुच्छेद 15 और 16 निर्दिष्ट परिस्थितियों में वर्गीकरण की अनुमति देने वाले उपरोक्त अनुच्छेद में शामिल नियमों और शर्तों द्वारा प्रतिबंधित हैं।

26. *'शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1970 पी एंड एच 372* में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 14,15 और 16 एक दूसरे के पूरक संवैधानिक गारंटी की एकल संहिता के घटक हैं और यदि कोई विशेष प्रावधान अनुच्छेद 15 (3) के दायरे में आता है, केवल इसलिए निरस्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह केवल लिंग के आधार पर भेदभाव के बराबर था।महिलाओं के पक्ष में केवल ऐसे प्रावधान किए जा सकते थे जो उचित थे और संविधान के अनुच्छेद 16 (2) में निहित संवैधानिक गारंटी को पूरी तरह से मिटा या भ्रामक नहीं बनाते थे।यह अभिनिर्धारित किया गया थाः—

"अनुच्छेद 14,15 और 16 की स्थापना और योजना , विशेष रूप से एक सामान्य शीर्षक के तहत, और उनकी भाषा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वे एक ही परिवार से संबंधित हैं। जबकि अनुच्छेद 14 को जाति कहा जा सकता है, अनुच्छेद 15 और 16 इसकी प्रजातियां हैं।अनुच्छेद 14 मूल अनुच्छेद है जो सामान्य रूप से कानून के समक्ष समानता के अधिकार की गारंटी देता है।यह बहुत व्यापक आयाम का है।यह कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और लगाए गए दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों में व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करता है, और इस प्रकार एक व्यक्ति और दूसरे के बीच भेदभाव को रोकता है, यदि कानून की विषय वस्तु के संबंध में वे समान रूप से स्थित हैं।अनुच्छेद 15 (1) केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करके समानता के समान अधिकार की गारंटी देता है।जबकि अनुच्छेद

14 सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, अनुच्छेद 15 (1) यह सुनिश्चित करता है कि 'केवल नागरिकों के लिए गारंटी और भेदभाव के खिलाफ संरक्षण प्रदान करके अनुच्छेद 14 में निहित सामान्य गारंटी के केवल एक पहलू को छूता है।”

यह आगे अभिनिर्धारित किया गया थाः—

“अगर मैं सम्मान के साथ ऐसा कह सकता हूं, तो उपरोक्त कानून और मुद्दे पर सही कथन है।यदि अनुच्छेद 15 के खंड (1) और (2), जैसा कि *दत्तात्रेय के मामले* में माना गया है, यदि राज्य भेदभाव के पूरे क्षेत्र को शामिल किया जाए, जिसमें अनुच्छेद 16 में विशेष रूप से वर्णित सार्वजनिक रोजगार का क्षेत्र भी शामिल है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक तरह से अनुच्छेद 16 में कही गई बातों को ओवरलैप और प्रतिस्थापित करता है।यह एक आवश्यक परिणाम के रूप में इस प्रकार है कि खंड (3) में अपवाद का दायरा और सामग्री सार्वजनिक रोजगार सहित राज्य भेदभाव के पूरे क्षेत्र में विस्तारित होगी।इस प्रकार, अनुच्छेद 15 के खंड (3) को अनुच्छेद 14,15 (1), 15 (2), 16 (1) और 16 (1) में निहित सामान्य गारंटी को अर्हता प्राप्त करने वाले परंतुक की प्रकृति में एक विशेष प्रावधान के रूप में माना जाना चाहिए।”

27. *सी. बी. मुथम्मा बनाम भारत संघ ए. एल. आर. 1979 एस. सी. 1868.घ* मामले में, न्यायाधीश वी. आर. कृष्ण अय्यर ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ उनके विवाह के आधार पर भेदभाव, कमजोर लिंग को परेशान करने की मर्दाना संस्कृति का एक हैंगओवर था, यह भूलकर कि कैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए हमारा संघर्ष भी महिलाओं की गुलामी के खिलाफ एक लड़ाई थी, ।यह आगे देखा गयाः—

“हमारा मतलब यह सार्वभौमिक या हठधर्मिता बनाना नहीं है कि पुरुष और महिला सभी व्यवसायों और सभी स्थितियों में समान हैं और व्यावहारिक होने की आवश्यकता को बाहर नहीं करते हैं जहां विशेष रोजगार की आवश्यकताएं, लिंग की संवेदनशीलता या सामाजिक क्षेत्रों की विशिष्टताएं या किसी भी लिंग की बाधाएं चयनशीलता को मजबूर कर सकती हैं।लेकिन सिवाय इसके कि जहां भेदभाव प्रदर्शित किया जा सकता है, समानता का शासन शासन करना चाहिए "

28. *आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. बी. विजय कुमार और एक अन्य ए. एल. आर. 1995 एस. सी. 1648* मामले में, उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि यदि अनुच्छेद 16 (2) को अनुच्छेद 16 (4) के साथ पढ़ा जाता है, तो राज्य के तहत नियुक्ति या पद के संबंध में महिला के पक्ष में किसी भी आरक्षण की अनुमति नहीं है।यह तर्क दिया गया कि आंध्र प्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों के नियम 22-ए में बनाया गया ऐसा प्रावधान संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन है और इसे रद्द किया जा सकता है।उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहाः

“यह तर्क अनुच्छेद 16 (8) की अनदेखी करता है।इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में अनुच्छेद 14,15 और 16 के बीच अंतर्संबंध पर विचार किया गया है, अनुच्छेद 15 इस देश के नागरिकों के संबंध में सदाबहार राज्य कार्रवाई से संबंधित है।राज्य की गतिविधि का प्रत्येक क्षेत्र अनुच्छेद 15 (1) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए, अनुच्छेद 15 (1) दायरे से राज्य रोजगार के बाहर करने का कोई कारण नहीं है।साथ ही अनुच्छेद 15 (3) विशेष प्रावधानों या महिलाओं को अनुमति देता है।दोनों अनुच्छेद 15(1) और 15 (3) एक साथ जाएँ।अनुच्छेद 15 (1) के अतिरिक्त, तथापि, अनुच्छेद 16 (1) राज्य गतिविधि के एक विशिष्ट क्षेत्र अर्थात् राज्य के अधीन रोजगार के संबंध में कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध लगाता है।ये अनुच्छेद 15 (1) के तहत गिने गए निषेध के आधारों के अलावा हैं जो अनुच्छेद 16 (2) के तहत भी शामिल हैं। हालांकि, निश्चित रूप से अनुच्छेद 16 के तहत राज्य के तहत रोजगार के संबंध में विशिष्ट प्रावधान हैं।अनुच्छेद 16 (3) राज्य को संसदीय कानून द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास की आवश्यकता निर्धारित करने की अनुमति देता है; जबकि अनुच्छेद 16 (4) पिछड़े वर्ग के लोगों के पक्ष में पदों पर आरक्षण की अनुमति देता है।अनुच्छेद 16 (5) एक ऐसे कानून की अनुमति देता है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है या उसे किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय से संबंधित होने की आवश्यकता हो सकती है, यदि वह धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के मामलों के संबंध में किसी पद का अधिकारी है।इसलिए, राज्य के तहत किसी भी रोजगार या पद के संबंध में अनुच्छेद 16 (2) में निर्धारित आधारों पर भेदभाव के खिलाफ निषेध अनुच्छेद 16 के खंड 3,4 और 5 द्वारा योग्य है।इसलिए, राज्य के तहत रोजगार से निपटने में, इसे अनुच्छेद 15 और 16 को ध्यान में रखना होगा, जिसमें पहला अधिक सामान्य प्रावधान है और दूसरा अधिक विशिष्ट प्रावधान है।चूँकि अनुच्छेद 16 राज्य द्वारा महिलाओं के लिए किए जा रहे किसी विशेष प्रावधान को नहीं छूता है, इसलिए यह किसी भी तरह से अनुच्छेद 15 (3) के तहत इस संबंध में राज्य को दी गई शक्ति का अपमान नहीं कर सकता है।अनुच्छेद 15 (3) द्वारा प्रदत्त यह शक्ति राज्य के तहत रोजगार सहित राज्य की गतिविधियों की पूरी श्रृंखला को शामिल करने के लिए पर्याप्त है।

29. महिलाओं के संबंध में अनुच्छेद 15 के खंड (3) को शामिल करना इस तथ्य की मान्यता है कि सदियों से इस देश की महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से विकलांग रही हैं।नतीजतन, वे समानता के आधार पर राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थ हैं।महिलाओं के इस सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को समाप्त करने और उन्हें इस तरह से सशक्त बनाने के लिए कि पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रभावी समानता आए, अनुच्छेद 15 (3) को अनुच्छेद 15 में रखा गया है।इसका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना और सुधारना है।लैंगिक समानता की इस अवधारणा का एक महत्वपूर्ण अंग महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।यह कहना कि अनुच्छेद 15 (3) के तहत महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा नहीं किए जा सकते हैं, इस अनुच्छेद के पीछे अंतर्निहित प्रेरणा की जड़ को काटना होगा।राज्य के

तहत रोजगार या पदों के संबंध में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करना अनुच्छेद 15 (3) का एक अभिन्न अंग है।अनुच्छेद 15 (3) के तहत प्रदत्त इस शक्ति को अनुच्छेद 16 द्वारा किसी भी तरह से कम नहीं किया गया है।

30. फिर अनुच्छेद 15 (3) में "महिलाओं के लिए किसी विशेष प्रावधान" का क्या अर्थ है? यह "विशेष प्रावधान", जो राज्य महिलाओं में सुधार और राज्य के नियंत्रण के लिए कर सकता है, सकारात्मक कार्रवाई या आरक्षण के रूप में हो सकता है।यह ध्यान दें कि वही वाक्यांश अनुच्छेद 15 (4) में एक जगह पाता है जो नागरिकों के किसी भी सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियाँ की उन्नति के लिए किसी विशेष प्रावधान की बात करता है। मूल रूप से अधिनियमित अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 15 (4) शामिल नहीं था।इसे *मद्रास राज्य बनाम चंपकम दरैराजन 1951 एस. सी. आर. 525* के मामले में निर्णय के परिणामस्वरूप संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें जाति और समुदाय के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण को अलग रखा गया था।अदालत ने कहा कि सरकार का आदेश अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 29 (2) का उल्लंघन है।

31. "हालांकि, अनुच्छेद में खंड (4) डाला गया था, अनुच्छेद 29 से इस तरह के एक स्पष्ट प्रावधान की चूक को महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है।"

32. प्रथम संशोधन का उद्देश्य अनुच्छेद 15 और 29 को अनुच्छेद 16 (4) के अनुरूप लाना था।अनुच्छेद 15 (4) के लागू होने के बाद, *एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य* ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 649 के मामले में शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण को बरकरार रखा गया है।और कई अन्य मामले जिन्हें यहां संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।अनुच्छेद 15 (4) के तहत इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य तकनीकी कॉलेजों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने के आदेश को बरकरार रखा गया है।इसलिए, अनुच्छेद 15 (4) के तहत, नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए आरक्षण पूर्वनिर्धारित है।चूंकि अनुच्छेद 15 (3) में महिलाओं के लिए एक समान विशेष प्रावधान है।अनुच्छेद 15 (3) में महिलाओं के लिए आरक्षण देने की शक्ति भी शामिल होगी।वास्तव में,*इंद्र साहनी बनाम भारत संघ 1992 एस. एस. पी. एल 3682* के मामले में, शीर्ष न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 15 (4) जो एक विशेष प्रावधान से संबंधित है, सकारात्मक कार्रवाई के कार्यक्रमों की परिकल्पना करता है जबकि अनुच्छेद 16 (4) सकारात्मक भेदभाव के कार्यक्रमों की गारंटी देने वाला प्रावधान है।शीर्ष अदालत ने कहाः—

“हमें डर है कि हम इन प्रावधानों को हमारे संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ और योजना में इस तरह के वर्गीकरण में फिट करने में सक्षम नहीं होंगे। अब तक, यह अच्छी तरह से तय हो चुका है कि शैक्षणिक संस्थानों और जीवन के अन्य क्षेत्रों में आरक्षण अनुच्छेद 15(4) के तहत प्रदान किया जा

सकता है, जैसे 16(4) के तहत सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। यदि ऐसा है, तो अनुच्छेद 15(4) को केवल सकारात्मक कार्रवाई के कार्यक्रमों तक सीमित रखना सही नहीं होगा। अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 16(4) से अधिक व्यापक है क्योंकि एसईबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की स्थितियों में सुधार के लिए इसके तहत (आरक्षण के अलावा) कई प्रकार के सकारात्मक कार्य कार्यक्रम भी विकसित और कार्यान्वित किए जा सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 16(4) केवल एक प्रकार के उपचारात्मक उपाय, अर्थात् नियुक्तियों/पदों के आरक्षण की बात करता है।"

इसलिए, शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 15 (4) के दायरे को अनुच्छेद 16 (4) की तुलना में व्यापक माना है, जिसमें आरक्षण के अलावा कई प्रकार के सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम शामिल हैं।हालाँकि, इसने *एम. आर. बालाजी (ऊपर)* को इस प्रभाव से दोहराते हुए सावधानी का एक शब्द जोड़ा है कि अनुच्छेद 15 (4) द्वारा अनुध्यात पदों और नियुक्तियों के आरक्षण जैसे अनुच्छेद 16 (4) द्वारा अनुध्यात एक विशेष प्रावधान उचित सीमाओं के भीतर होना चाहिए।आरक्षण की ये सीमाएं मोटे तौर पर अधिकतम 50 प्रतिशत तय की गई हैं।यही तर्क अनुच्छेद 15 (3) पर भी लागू होगा, जिसे 'इसी तरह' कहा गया है।”

यह भी माना गया कि आरक्षण का अर्थ आम तौर पर एक अलग कोटा होता है जो विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होता है।

33. सर्वोच्च न्यायालय और देश के उच्च न्यायालयों द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं के आधार पर यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि राज्य के पास संविधान के अनुच्छेद 15 (3) के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए एक प्रावधान करने की शक्ति है जिसे संविधान के अनुच्छेद 15 (1) के परंतुक के रूप में पढ़ा जाना है।लिंग के आधार पर भेदभाव की अनुमति है यदि यह पाया जाता है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं थीं और उस क्षेत्र में पुरुषों से पीछे हैं जहां आरक्षण की मांग की गई है । सेवा में नियुक्ति के मामलों में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इस तरह के भेदभाव को दो बराबर लोगों के बीच नहीं माना जा सकता है, बल्कि यह असमान लोगों के बीच एक भेदभाव है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 (1) द्वारा भी प्रभावित नहीं होता है। संविधान के तहत जो निषिद्ध है वह यह है कि समान लोगों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है और समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 15 (2) द्वारा परिकल्पित विशेष प्रावधान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा करना है जो संविधान निर्माताओं के अनुसार सुरक्षात्मक होना आवश्यक था।हालाँकि, जब भी किसी महिला के पक्ष में कोई आरक्षण दिया जाता है, तो उसे तर्कसंगतता के आधार पर परखा जाना चाहिए।एक बार कार्यपालिका द्वारा निर्धारित की जाने वाली ऐसी तर्कसंगतता को न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, राज्य को प्रथमदृष्टया आरक्षण देने के आधारों और इस तरह के आरक्षण की सीमा को

सही ठहराने की आवश्यकता है।अनुच्छेद 15 (3) के तहत आरक्षण वह आधार है जो लिंग के आधारों से संबंधित है।

34. *वाल्टर अल्फ्रेड बैद* सिस्टर ट्यूटर *(नर्सिंग) एम. टी. आई. आर. अस्पताल, नई दिल्ली बनाम भारत संघ और अन्य* दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्कूल ऑफ नर्सिंग में वरिष्ठ शिक्षक के पद के लिए भर्ती नियमों के दायरे पर विचार किया।इरविन अस्पताल, नई दिल्ली ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त पद के लिए पुरुष उम्मीदवारों की अयोग्यता के संबंध में भर्ती नियम में प्रावधान असंवैधानिक था जो संविधान के अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन था जिसे अनुच्छेद 15 के खंड (3) द्वारा नहीं बचाया गया था।उस मामले में इरविन अस्पताल, नई दिल्ली , याचिकाकर्ता, योग्य 'ए' ग्रेड पुरुष नर्स को नर्सिंग स्कूल में 'सिस्टर ट्यूटर' के रूप में नियुक्त किया गया था और एक स्थायी रिक्ति के खिलाफ पद में पुष्टि की गई थी।वरिष्ठ शिक्षक के पद को दिल्ली प्रशासन द्वारा उच्च वेतनमान में स्वीकृत किया गया था और याचिकाकर्ता से कनिष्ठ व्यक्ति को याचिकाकर्ता को हटाकर नव सृजित पद पर नियुक्त किया गया था।सीनियर ट्यूटर के पद पर विचार किए जाने के लिए याचिकाकर्ता की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उपरोक्त पद के लिए भर्ती नियमों के संदर्भ में, पुरुष सिस्टर ट्यूटर पद के लिए अयोग्य थे ।भर्ती नियमों के अनुसार वरिष्ठ शिक्षक के पद को वरिष्ठ शिक्षक (महिला) के रूप में नामित किया गया था।याचिकाकर्ता ने पुरुष उम्मीदवार की अयोग्यता को केवल लिंग के आधार पर असंवैधानिक होने के रूप में चुनौती दी।न्यायालय ने पक्षों के प्रतिद्वंद्वी तर्क पर विचार करने के बाद कहाः—

“अनुच्छेद 14,15 और 16 समानता के अधिकार के विभिन्न तथ्यों से संबंधित हैं।अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है और राज्य को किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित करने से रोकता है।अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए या नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जनजातियाँ या अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 भारत के नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है।ये तीनों अनुच्छेद गारंटी की एक ही संवैधानिक संहिता का हिस्सा हैं और इस अर्थ में एक दूसरे के पूरक हैं।एक ओर अनुच्छेद 14 और दूसरी ओर अनुच्छेद 15 और 16 को अक्सर क्रमशः वंश और प्रजाति के रूप में वर्णित किया गया है।

35. अनुच्छेद 14, जो वर्तमान में आपातकाल की घोषणा के कारण निलंबन की स्थिति में है, में "किसी भी व्यक्ति" को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से इनकार करने के खिलाफ एक सामान्य निषेध है, और सम्मान के साथ, उचित रूप से "(अमेरिकी) संविधान के 14वें संशोधन के समान संरक्षण खंड के साथ कानून के शासन के अंग्रेजी सिद्धांत" के संयोजन के रूप में

वर्णित किया गया है।" यह बहुत व्यापक महत्व का है क्योंकि इसमें कानून के समक्ष समानता और कानूनों और प्रतिष्ठानों के समान संरक्षण का एक बहुत व्यापक केंद्र शामिल है।और किसी भी व्यक्ति को इस समानता की गारंटी देता है चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी।हालाँकि, यह "पूर्ण समानता" की किसी भी अवधारणा को शामिल नहीं करता है, क्योंकि इस सिद्धांत के कारण कि समानता बराबर के लिए एक चार्टर है न कि असमान के लिए।इसलिए इसने अमेरिकी संविधान के समान संरक्षण खंड के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ भारत में भी न्यायिक रूप से मान्यता दी है कि यह गारंटी समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है लेकिन यह उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है बशर्ते कि ऐसा वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतर पर आधारित हो जो उन व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है जो समूह से बाहर रखे गए अन्य लोगों से एक साथ समूहीकृत हैं और अंतर का उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है जिसे प्रश्नगत अधिनियम या कार्यकारी कार्रवाई द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो।

36. समानता का अधिकार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत प्रदान किए गए भेदभाव के खिलाफ निषेध एक तरह से अनुच्छेद 14 में शामिल कानून के समक्ष समानता की गारंटी से संकीर्ण हैं।अनुच्छेद 15 और 10 'दोनों ही केवल नागरिक के संबंध में गारंटी के साथ-साथ संबंधित निषेध को सीमित करते हैं और इसलिए,विदेशियों पर इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है।इन दो अनुच्छेदों का संचालन,इसलिए, उस अर्थ में अनुच्छेद 14 की शर्तों की तुलना में संकीर्ण है।एक तरह से इन दोनों अनुच्छेदों में दी गई गारंटी उन शर्तों की तुलना में अधिक अयोग्य है जिनमें अनुच्छेद 14 अधिकार की गारंटी देता है।जबकि अनुच्छेद 14 उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है बशर्ते कि इस तरह का वर्गीकरण ऊपर उल्लिखित सिद्धांत के अनुप्रयोग पर अनुमत हो, ऐसे वर्गीकरण का दायरा अनुच्छेद 15 और 16 के तहत वर्गीकरण इन दो अनुच्छेदों की शर्तों द्वारा प्रतिबंधित है क्योंकि इन अनुच्छेदों में निर्धारित आधारों पर आधारित कोई भी वर्गीकरण, जो अनुच्छेद 14 के तहत अनुमेय होगा, इन अनुच्छेदों के बाहर कभी भी कम नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किया जाता है, अनुच्छेद 14 के तहत भेदभाव को निरस्त नहीं किया जाएगा यदि ऐसा वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतर पर आधारित है जो उन व्यक्तियों को अलग करता है जो समूह के बाहर अन्य लोगों से एक साथ समूह में हैं और इस तरह के अंतर का उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है।हालाँकि, इस तरह का वर्गीकरण अनुच्छेद 15 के खिलाफ और सार्वजनिक रोजगार के किसी भी मामले में अनुच्छेद 16 के खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा, जब तक कि इस तरह के वर्गीकरण को अनुच्छेद 15 के खंड (3) के संदर्भ में उचित नहीं ठहराया जा सकता है, जिसमें प्रावधान है कि "इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा", अनुच्छेद 16 के मामले में कोई भी. सार्वजनिक रोजगार के मामलों से संबंधित, ऐसा वर्गीकरण या भेदभाव उस अनुच्छेद के खंड (3),

(4) और (5) द्वारा सहेजा जाता है।अनुच्छेद 16 अभी भी एक संकीर्ण क्षेत्र में काम करता है क्योंकि यह न केवल नागरिकों तक सीमित है, बल्कि राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों तक भी सीमित है।" इसलिए, यह इस प्रकार है कि वर्तमान मामले की तरह, लिंग के आधार पर भेदभाव को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उचित ठहराया जा सकता है, यदि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर लिंग को एक बोधगम्य अंतर कहा जा सकता है, जो नर्सिंग स्कूल के कर्मचारियों के पुरुष और महिला सदस्यों को अलग करता है और इस अंतर का उस उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध है जिसे पात्रता की शर्त वाली भर्ती के नियमों द्वारा प्राप्त करने की मांग की गई थी, तो ऐसा वर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत या तो अनुमत नहीं होगा, जब तक कि इसे उस अनुच्छेद 15 के खंड (3) द्वारा या भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत नहीं बचाया गया था, जब तक कि इसे संविधान के खंड (3), (4) और (5) द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था।

37. उत्तरदाताओं की ओर से इस बात पर विवाद किया गया कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामले में केवल लिंग के आधार पर भेदभाव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उचित होते हुए भी, नहीं किया जा सकेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) की कसौटी पर खरा उतरें, जब तक कि इसे अनुच्छेद 16 के उप-खंड (3) (4) और (5) द्वारा बचाया नहीं गया हो। रोजगार के लिए अर्हता शर्त के रूप में किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास, या नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में एसएससीएच नियुक्ति के लिए आरक्षण या कि किसी भी धार्मिक या प्रभुत्वशाली संस्था के मामलों के संबंध में किसी पद का पदाधिकारी या ऐसी संस्था के शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशेष धर्म को मानने वाला या विशेष संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति होगा। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में केवल लिंग के आधार पर भेदभाव को इन तीन उप-खंडों में से किसी से भी बचाया नहीं जा सकता है। हालाँकि, यह तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद 16 का खंड (2) राज्य के तहत किसी भी रोजगार या पद के संबंध अन्य बातों के साथ साथ अयोग्यता या भेदभाव के लिए किसी भी प्रावधान को मना करता है, यदि ऐसी अयोग्यता या भेदभाव केवल लिंग के आधार पर आधारित है।यह तर्क दिया जाता है कि स्कूल ऑफ नर्सिंग मुख्य रूप से महिला संस्थान है और इसके साथ-साथ वरिष्ठ शिक्षक के कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट रूप से होगा कि इस तरह के पद का संचालन महिला लिंग के सदस्य द्वारा किया जाता था, और कर्मचारियों के पुरुष सदस्य को प्रशासनिक कारणों से अयोग्य बना दिया जाता है; और औचित्य के दावे संभवतः इसलिए कि एक महिला को मुख्य रूप से महिला संस्थान में वरिष्ठ शिक्षक के रूप में शामिल करने से महिला के अनुचित लाभ की संभावना समाप्त हो जाएगी या कम हो जाएगी और संस्थान का सुचारू और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित होगा।इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि अयोग्यता इसलिए नहीं है क्योंकि कर्मचारी पुरुष लिंग से संबंधित हैं, बल्कि उनके उस लिंग से संबंधित होने

के निहितार्थ के कारण है।इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामले में अयोग्यता और भेदभाव की अनुमति है क्योंकि यह केवल लिंग के आधार पर नहीं है, बल्कि अन्य विचारों पर भी है।

38. *श्रीमती रघुबंस सौदागर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1971 (1) सी. आर. 688* मामले में न्यायालय की खंड पीठ और दत्तात्रेय मोतीरन के मामले (ऊपर) के मामले में चागला, न्यायमूर्ति द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करने के बाद, अदालत ने निष्कर्ष निकालाः

"इसलिए तत्काल मामले में नियमों में आक्षेपित प्रावधान को किसी भी अनुमेय वर्गीकरण के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (2) में निहित प्रावधान की शरारत के रूप में निरस्त होने के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (3) के संदर्भ में सहेजा नहीं जा सकता है। शमशेर सिंह के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में थोड़ी अलग स्थिति सफल हुई।उस मामले में, शिक्षा सेवा की एक शाखा में महिलाओं के लिए एक विशेष भत्ते की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उनके पुरुष समकक्षों को लाभ नहीं दिया गया था, हालांकि दोनों समान कर्तव्यों का पालन करते थे, और एक ही सेवा का हिस्सा थे।भेदभाव को इस आधार पर उचित ठहराने की कोशिश की गई कि भले ही यह केवल लिंग पर आधारित था, लेकिन इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (3) द्वारा बचाया गया था, जिसमें प्रावधान है कि "इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।"यह प्रश्न कि क्या अनुच्छेद 15 के खंड (3) के प्रावधानों को खंड (2) के दायरे को समझने और निर्धारित करने के लिए लागू किया जा सकता है।संविधान के अनुच्छेद 16 का, और, यदि हां, तो किस हद तक, और मामलों के किस पीठ में, अंततः पूर्ण पीठ को भेजा गया था।इस प्रश्न का उत्तर सरकारिया, जे. द्वारा सकारात्मक रूप से दिया गया था, क्योंकि उस समय उनकी प्रभुता थी और जिन्होंने बहुमत के लिए बात की थी, इस परंतुक के साथ कि केवल महिलाओं के पक्ष में ऐसे विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं जो उचित थे और "अनुच्छेद 16 (2) में निहित संवैधानिक गारंटी को पूरी तरह से मिटाते या भ्रम में नहीं डालते हैं।" संदर्भ का सकारात्मक उत्तर इस आधार पर था कि अनुच्छेद 14,15 और 16 गारंटी की एक ही संवैधानिक संहिता का एक हिस्सा था और एक दूसरे का पूरक था; अनुच्छेद 14 जाति था और अन्य अनुच्छेद इसकी प्रजातियां थीं; कि अनुच्छेद 15 के खंड (1) और (2) "राज्य भेदभाव के पूरे क्षेत्र को शामिल करते हैं, जिसमें विशेष रूप से अनुच्छेद 16 में वर्णित सार्वजनिक रोजगार का क्षेत्र भी शामिल है" और इसलिए, "जो अनुच्छेद 16 में कहा गया है उसे ओवरलैप और पूरक करता है" जिसका अर्थ है कि "खंड (3) में अपवाद का दायरा और सामग्री सार्वजनिक रोजगार सहित राज्य भेदभाव के पूरे क्षेत्र में विस्तारित होगी"।इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 15 के खंड (3) को अनुच्छेद 14,15 (1), 15 (2), 16 (1) और 16 (2) में निहित सामान्य गारंटी को अर्हता प्राप्त करने वाले परंतुक की प्रकृति में एक विशेष प्रावधान के रूप में

माना जाना था।" इस निष्ध्यान के लिए सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय के कई फैसलों से समर्थन मांगा गया था, यहां तक कि उस दृष्टिकोण के लिए एक स्पष्ट सहानुभूति व्यक्त ध्यान देंते हुए और संदर्भ का जवाब नकारात्मक धारणा में दिया गया था कि प्रावधान अनुच्छेद 15 के खंड (3) को अनुच्छेद 16 के खंड (2) के अनुप्रयोग के दायरे को प्रतिबंधित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता था। बहुमत के दृष्टिकोण को कम से कम आंशिक रूप से प्रशासनिक सुविधा के कारण होने के रूप में समझाया गया था और असहमति के दृष्टिकोण को किसी भी संवैधानिक गारंटी को "कम या प्रतिबंधित" होने की अनुमति नहीं देने के पवित्र दायित्व से उत्पन्न होने वाले अनुपालन के बराबर के रूप में उचित ठहराया गया था और पुष्टि की गई थी कि अनुच्छेद 16 (2) के तहत संवैधानिक गारंटी को "उसी अध्याय में समान अन्य प्रावधान के संदर्भ से कमजोर नहीं किया जा सकता था, जिसे संविधान सभा ने अपने विवेक से स्पष्ट रूप से प्रश्न में अधिकार पर लागू करने से परहेज किया था", अनुच्छेद 15 के खंड (3) में आरक्षण के प्रावधानों का एक स्पष्ट संदर्भ, जो अनुच्छेद 16 में स्पष्ट रूप से अनुपस्थिति था।असहमत राय मुझे वास्तविक कानूनी स्थिति का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत होती है और मैं बहुत सम्मान के साथ ऐसा कहता हूं।जे. नरूला ने बहुमत के दृष्टिकोण से अलग होने में लगभग अजेय तर्क दिया है और मैं उनके साथ सम्मानजनक सहमति में हूं।अनुच्छेद 16 की योजना में समानता का अधिकार और राज्य के तहत सेवा के मामले में भेदभाव के खिलाफ एक संवैधानिक निषेध शामिल है जो अनुच्छेद 14 में शामिल किए गए लोगों की तुलना में अधिक अयोग्य है।लिंगों के बीच रोजगार के मामले में अवसर की समानता और भेदभाव के खिलाफ संबंधित निषेध प्रकृति में आत्यन्तिक है और अनुच्छेद 15 के विपरीत अनुच्छेद 16 में इसका कोई अपवाद नहीं बनाया गया है।अनुच्छेद 16 में अनुच्छेद 15 (3) में निहित अपवाद को पढ़ना संभव नहीं है और अनुच्छेद 15 के खंड (3) को अनुच्छेद 16 में स्थानांतरित करने और खंड के संदर्भ में अनुच्छेद 16 (2) में निषेध के दायरे को निषेधित करने के प्रयास को संभवतः आंतरिक या बाहरी व्याख्या के लिए किसी भी सहायता के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायालय का कार्य कानूनों की व्याख्या करना है।अदालतें इस बात से चिंतित हैं कि कानून क्या है और यह नहीं कि यह क्या होना चाहिए या क्या होना चाहिए, हालाँकि, इस तरह की इच्छा की सराहना की जा सकती है।मैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ हद तक इस देश में सख्त निर्माणकर्ताओं और उदार निर्माणकर्ताओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद से अनजान नहीं हूं, और कानून की कुछ शाखाओं में न्यायाधीशों द्वारा बनाए गए कानूनों के बड़े निकाय के रूप में, विशेष रूप से लाभकारी कानून के क्षेत्र में उदार निर्माण के परिणामस्वरूप संविधान, हालांकि, एक बुनियादी कानून है और यह लोगों के लिए है, जिन्होंने खुद को दे दिया का दायरा निर्धारित करने के लिए एक संविधान दायित्वों के अधिकार और सीमाएँ, विशेष रूप से उन अधिकारों और दायित्वों में जो मौलिक प्रकृति के हैं।इन सीमाओं का पता लगाने की प्रक्रिया में ऐसे अधिकारों और दायित्वों की सीमाओं को फिर से तैयार करना किसी भी न्यायालय का प्रांत नहीं है।यह सच है कि संशोधित निर्णयों ने कानून के विकास में मदद की, यह बताते हुए कि कानून को क्या करना

चाहिए।लेकिन, मेरे विचार से, सामान्य विधान और संविधान के मौलिक कानून के बीच अंतर करना आवश्यक है।विधायिका के वास्तविक उद्देश्य को सामने लाने की दृष्टि से न्यायिक विधान को शायद कुछ हद तक उचित ठहराया जा सकता है; न्यायिक संविधान बनाना खतरों से भरा होगा।

39. महिलाओं के नैतिक, शारीरिक और आर्थिक कल्याण के लिए विधायी और न्यायिक आग्रह लगभग एक ज़ियोमैटिक है और इसलिए यह शायद असंगत लग सकता है, लेकिन मुझे इस निष्कर्ष से कोई कमी नहीं लगती है कि विवादित नियम जो वरिष्ठ नर्सिंग शिक्षक के पद को एक महिला संरक्षण बनाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 द्वारा असंवैधानिक है क्योंकि यह केवल लिंग पर आधारित है और इसे किसी भी अनुमेय वर्गीकरण के संदर्भ में या अनुच्छेद से निकाले गए किसी भी अपवाद से नहीं बचाया जा सकता है।"

रिट याचिका को अयोग्यता खंड को दरकिनार करते हुए अधिकारियों को वरिष्ठ शिक्षक के पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर उनकी योग्यता और पद के लिए उपयुक्तता के आधार पर विचार करने के निर्देश के साथ अनुमति दी गई थी।हम वाल्टर अल्फ्रेड बाल्ड के मामले (उपरोक्त) में दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष से सहमत हैं।

40. *बी. आर. आचार्य बनाम गुजरात राज्य 1988 प्रयोगशाला। आई. सी. 1465* वाले मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने बेसहारा महिलाओं, अविवाहित माताओं आदि के संस्थानों के महिला अधीक्षकों के उच्च पीठ पर पीठोन्नति के लिए सामान्य संवर्ग में केवल महिला अधिकारियों को हकदार बनाने के दायरे और प्रावधान पर विचार किया और लिंग के आधार पर भेदभाव के आरोप पर इसे अलग करने या रद्द करने से इनकार कर दिया।सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किए बिना, यह अभिनिर्धारित किया गया था किः—

"महिला अधीक्षकों द्वारा संचालित संस्थान विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं और यह सरकार के लिए हैं नीति के रूप में यह तय करना कि ऐसे संस्थानों का नेतृत्व केवल महिला अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए या नहीं।केवल इसलिए कि किसी स्तर पर एक सामान्य संवर्ग होता है जिसमें दोनों लिंगों के अधिकारी होते हैं।निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह तय करना राज्य सरकार के लिए खुला है कि जो संस्थान विशेष रूप से महिलाओं या महिला अधिकारियों के लिए हैं, सरकार को ऐसे संस्थानों का नेतृत्व करने के लिए पुरुष अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, अगर वह ऐसा करना उचित नहीं समझती है।यदि महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान किया जाता है, तो याचिकाकर्ता यह शिकायत नहीं कर सकते कि उनके साथ भेदभाव किया गया है।अनुच्छेद 15 (3) को ध्यान में रखते हुए सामान्य संवर्ग में परिवीक्षा अधिकारी यह तर्क नहीं दे सकते कि उन्हें महिला अधीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र माना जाना चाहिए।"

चूँकि संविधान के अनुच्छेद 15 के दायरे पर अलग से विचार किया गया था और कानून के तय किए गए प्रस्ताव के संदर्भ के बिना, *बी. आर. आचार्य के मामले (ऊपर)* में गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले को एक अच्छा कानून नहीं माना जा सकता है।

41. *शमशेर सिंह के मामले* (ऊपर) में इस अदालत के फैसले का संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है जिसे हम मंजूरी देते हैं।

42. वर्तमान मामले में, महिलाओं के पक्ष में दिए गए आरक्षण को केवल लिंग के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है।यह देखा जाना चाहिए कि क्या इस तरह का आरक्षण संवैधानिक गारंटी के आधार पर वैध और उचित था।

43. यदि यह पाया जाता है कि अनुच्छेद 14, 15 और 16 के प्रावधानों के विपरीत वर्गीकरण करने के लिए कोई सिद्धांत या मानदंड शामिल नहीं था, न्यायालय इस तरह के प्रावधान को भेदभावपूर्ण मानते हुए इसे निरस्त करके हस्तक्षेप करेगा। तथापि, यदि नियम बनाने वाला प्राधिकारी न केवल लिंग के आधार पर बल्कि अन्य कारणों से भी महिलाओं के पक्ष में प्रावधान करने को उचित ठहराने की स्थिति में है, तो न्यायालय उस घटना में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

44. महाविद्यालय के प्रशासनिक और कार्यकारी पक्ष में केवल महिलाएँ होनी चाहिए ताकि छात्राएँ अपनी समस्याओं के संबंध में उनके साथ खुलकर बात कर सकें।ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 की व्याख्या करते समय निर्धारित परीक्षण के आधार पर बालिका महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में केवल एक महिला की नियुक्ति को उचित ठहराने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, जैसा कि कानून के तहत आवश्यक है। इसमें उल्लिखित कार्यों में से कोई भी प्राचार्य के रूप में नियुक्ति पर विचार करने के लिए किसी पुरुष के बहिष्कार का संकेत या औचित्य नहीं देता है।इनमें से कोई भी कार्य केवल एक महिला प्राचार्य द्वारा अपने प्रदर्शन को अभिनिर्धारित नहीं करता है जैसा कि एक छात्रावास के वार्डन या एक डॉक्टर के मामले में होगा।

45. एक महिला प्राचार्य के पक्ष में वर्गीकरण का आधार सुनिश्चित करने के लिए, एक संबद्ध कॉलेज के प्राचार्य की शक्तियों और कार्यों पर एक नज़र डालना उचित होगा।पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, अध्याय XIX ने प्राचार्य की शक्तियों और कार्यों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया हैः—

“प्राचार्य के पास महाविद्यालय के आंतरिक प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप पूर्ण शक्तियां और विवेकाधिकार होंगे, अर्थात् -

(i) कर्मचारियों के बीच कार्य का वितरण।

(ii) छात्रों का प्रवेश, पदोन्नति और निरोध।

(iii) योग्य छात्रों को शुल्क रियायतें और वजीफा प्रदान करना।

(iv) जुर्माने का अधिरोपण और उसमें छूट।

(v) अनुशासनात्मक कार्रवाई और दंड का अधिरोपण।

(vi) समामेलित निधि से व्यय।

(vii) चपरासी, प्रयोगशाला सहायक, वाहक आदि की नियुक्ति और बर्खास्तगी।

(viii) कर्मचारियों को छुट्टी देना।

(ix) बाह्य गतिविधियों का संगठन।

(x) आपात स्थिति से निपटने के लिए, एक स्वीकृत पद के बदले छह महीने की अवधि तक शिक्षण कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति।

(xi) वार्षिक लेने के समय प्रति हजार कम से कम तीन पुस्तकालय पुस्तकों के नुकसान को बट्टे खाते में डालना।"

महाविद्यालय विद्यार्थियों के संबंध में प्राचार्य द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि ऐसे छात्रों का किसी भी प्रकार का शोषण किया जा सकता है।छात्रों के साथ व्यवहार करने के लिए, विभाग के प्रमुख के पास प्रिंसिपल को प्रदान की गई समान और समान शक्तियां होती हैं, जिनका दुरुपयोग करने पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।हमारे सामने यह तर्क नहीं दिया गया है कि किसी भी पुरुष को महिला महाविद्यालयों में विभाग प्रमुख के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।बल्कि यह स्वीकार किया गया है कि पुरुष (याचिकाकर्ताओं के रूप में) महिला महाविद्यालयों में विभाग प्रमुख के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।यह समझने में कोई विफल रहता है कि एक पुरुष को प्राचार्य बनने से वंचित करने का आधार क्या है, लेकिन उसे महिला संस्थानों में विभाग के प्रमुख के कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति क्या है।प्राचार्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकांश शक्तियाँ और कार्य संस्थान के कर्मचारियों और प्रशासन से संबंधित हैं।यह भी सुझाव नहीं दिया जाता है कि यदि किसी पुरुष को महिला महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो कर्मचारी के किसी सदस्य को यौन वासना या शोषण का शिकार बनाया जा सकता है।हमारे सामने यह स्वीकार किया गया है कि चंडीगढ़ के कॉलेजों में या तो लड़कों या लड़कियों के लिए दोनों लिंगों के व्याख्याता नियुक्त किए जाते हैं।यह भी स्वीकार किया गया है कि जब भी लड़कों के कॉलेज में कोई रिक्ति होती है तो योग्यता और योग्यता के आधार पर किसी महिला को वहां प्राचार्य के रूप में नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं होती है।याचिकाकर्ता सरकारी बालिका महाविद्यालय में पहले व्याख्याता के रूप में और उसके बाद संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में सेवा दे रहा है।यदि याचिकाकर्ता को नियुक्त किया जा सकता है और लड़कियों के लिए एक कॉलेज में शिक्षक के रूप में बने रहने की अनुमति दी जा

सकती है, तो उसे केवल लिंग के आधार पर प्राचार्य के रूप में पदोन्नति के अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब इस तरह के भेदभाव को उचित नहीं ठहराया गया है।जहाँ तक यह प्रावधान है कि महिला महाविद्यालय की प्रधानाध्यापिका एक महिला होगी, वह अनुच्छेद 14,15 और 16 द्वारा गारंटीकृत संविधान के प्रावधानों अधिकारातीत है।प्रतिवादी केवल लिंग के आधार पर एक महिला के पक्ष में किए गए भेदभाव को सही ठहराने की स्थिति में नहीं हैं।

46. इन परिस्थितियों में, 1994 की सिविल रिट याचिका संख्या 11694 और 17185 के संदर्भ में पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड III के अध्याय VII(ii) के नियम 5 को असंवैधानिक और किसी भी तरह से सेवा को प्रभावित नहीं करने वाला अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए इसका निपटारा किया जाता है। याचिकाकर्ताओं का अधिकार जो अन्य लोगों के साथ पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं, यदि वे अन्यथा नियुक्ति के लिए पात्र हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं। माननीय श्रीमान् जी. एस. सिंघवी द्वारा दिया गया निर्णय।

47. मैंने माननीय न्यायमूर्ति सेठी, के विस्तृत निर्णय को पढ़ा है, मैं उनकी राय से पूरी तरह सहमत हूं कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की खंड 28 में निहित बार के आधार पर रिट याचिका के रखरखाव पर प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति बिना किसी सार के है और इस न्यायालय को पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड-11 के अध्याय VI (ii) में निहित नियम 5 की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है।मैं माननीय न्यायमूर्ति सेठी से भी सहमत हूँ कि यह न्यायालय केवल एक आदेश देने के लिए सक्षम है।एक उपयुक्त मामले में घोषणात्मक राहत और इस मामले में भी, पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड-II के अध्याय-VI (ii) के नियम 5 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना के गुणागुण की जांच करना उचित है।हालाँकि, बहुत सम्मान के साथ मैं सेठी,माननीय न्यायमूर्ति की इस राय से सहमत नहीं हूँ कि विवादित नियम असंवैधानिक है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 का उल्लंघन करता है।

48. आगे बढ़ने से पहले, पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड-II के अध्याय-VI (ii) में निहित नियम 5 को पुनः प्रस्तुत करना लाभदायक होगा। वही नीचे पढ़ा गया हैः—

"महिला महाविद्यालय की प्राचार्य एक ऐसी महिला होगी जिसके पास प्रथम या द्वितीय श्रेणी में कम से कम स्नातकोत्तर की डिग्री या महाविद्यालय में शिक्षण के अनुभव के साथ समकक्ष डिग्री होगी।यह नियम उन महिला महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगा जिनके पुरुष या महिला प्राचार्यों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।बशर्ते कि उनकी सेवानिवृत्ति पर एक योग्य महिला प्राचार्य नियुक्त की जाएगी।"

49. इस नियम को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि महिला महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता क्षेत्र से पुरुष उम्मीदवारों का बहिष्कार असंवैधानिक है क्योंकि यह केवल लिंग के आधार पर भेदभाव लाता है।यह तर्क श्री मंसूर अली और श्री एस. डी. शर्मा, अधिवक्ताओं द्वारा दिया गया है। दो रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जिस नियम में याचिकाकर्ताओं और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है, उसका प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है।विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पुरुष और महिला कॉलेजों के लिए व्याख्याताओं की एक सामान्य वरिष्ठता सूची रखी जाती है और इसलिए, प्राचार्य का पद विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है।वे. *वाल्टर, अल्फर्ड बैद, सिस्टर ट्यूटर (नर्सिंग) इरविन अस्पताल, नई दिल्ली बनाम भारत संघ और अन्य* में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया।

50. संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में अवसर की समानता से संबंधित है।ये तीन लेख आपस में संबंधित हैं और इन याचिकाओं में शामिल मुद्दे पर असर डालते हैं और इसलिए, उन्हें तैयार संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"14. कानून के समक्ष समानताः

राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

(15) धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेधः—

(1) राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

(2) कोई भी नागरिक, केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर, किसी भी अक्षमता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा -

(ii) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच; या

(b) कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थानों का उपयोग पूरी तरह से या आंशिक रूप से राज्य निधि से या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित किया जाता है।

(3) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।

(4) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचीत जातियों और अनुसूचीत जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।

(16) सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानताः—

(1) राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

(2) कोई भी नागरिक, केवल धर्म जाति, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर, राज्य के तहत किसी भी रोजगार या पद के संबंध में अयोग्य या भेदभाव नहीं किया जाएगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या उसके भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी वर्ग या वर्ग के रोजगार या उनकी नियुक्ति के संबंध में ऐसी नियुक्ति या नियुक्ति से पहले उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास की कोई आवश्यकता निर्धारित करने वाली कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी।

(4) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिक के पक्ष में नियुक्ति या पदों के वर्णन के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जो राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है।

(5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी जो यह प्रावधान करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के मामलों के संबंध में किसी पद का अवलंबी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता देने वाला या किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति होगा।”

51. अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी को भी कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा, अनुच्छेद 15 घोषणा करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।इसी तरह, अनुच्छेद 15 (2) 'केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर उसमें निर्दिष्ट विभिन्न मामलों के संबंध में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।साथ ही, अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 15 (4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।अनुच्छेद 16 (1) घोषणा करता है कि राज्य के तहत किसी भी पद पर सार्वजनिक रोजगार या नियुक्ति के मामले में, इस देश के नागरिकों के पास समान अधिकार होंगे। अनुच्छेद 16 के खंड 2 में घोषणा की गई है कि उक्त

मामले में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।साथ ही, खंड (4) में इस बात का ध्यान रखा गया है कि राज्य के पास नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति होगी, जिसका राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इस प्रकार, अनुच्छेद 14 जाति है जबकि अनुच्छेद 15 और 16 प्रजातियां हैं, हालांकि वे सभी एक ही क्षेत्र में हैं।

52. इन अनुच्छेदों में सन्निहित 'समानता' के सिद्धांत के कई पहलू हैं।संक्षेप में, स्थिति और अवसर की समानता के संबंध में भारत के संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित लक्ष्य इन अनुच्छेदों के साथ-साथ अनुच्छेद 17 और 18 में सन्निहित है और समानता खंडों के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, भारत के संविधान के भाग-4 में निहित विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखना हमेशा उचित होगा।राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत एक उपयुक्त मामले में किसी विशेष प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच के लिए दिशानिर्देश प्रस्तुत कर सकते हैं।यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, अधिकांश लोकतांत्रिक संविधान या तो "कानून के समक्ष समानता" या "कानूनों के समान संरक्षण" का ध्यान दें करते हैं।अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की खंड 1 में "कानूनों का समान संरक्षण" अभिव्यक्ति शामिल है।ऑस्ट्रेलियाई संविधान, आयरिश संविधान और पश्चिम जर्मन संविधान "कानून से पहले समानता" अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं।मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 का अनुच्छेद 17 घोषित करता है कि सभी कानून के समक्ष समान हैं और बिना किसी भेदभाव के कानूनों के समान संरक्षण के हकदार हैं।हमारे संविधान में "कानून के समक्ष समानता" के विभिन्न तथ्यों को न केवल अनुच्छेद 15,16,17 और 18 में बल्कि अनुच्छेद 38,39,39-ए, 41 और 46 में भी शामिल किया गया है।

53. आगे बढ़ने से पहले, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 की अंतर-व्याख्या और उनके अंतर-संबंध पर कुछ पूर्व निर्णय उल्लेख करना उपयोगी होगा।

54. *यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ बनाम राज्य (उपरोक्त)* के शुरुआती फैसलों में से एक में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की खंड 497 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी।चगला, सी.माननीय न्यायमूर्ति, न्यायालय की ओर से बोलते हुए संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का उल्लेख किया और कहाः—

“अनुच्छेद 15 (1) केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, स्थान या जन्म या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव की बात करता है।यदि धर्म, लिंग, जाति, नस्ल, सिलाई या जन्म स्थान केवल उन कारकों में से एक है जिसे विधानमंडल ने ध्यान में रखा है, तो यह केवल उस तथ्य के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यदि विधानमंडल ने इनमें से केवल एक आधार पर भेदभाव किया है और कोई

अन्य कारक संभवतः मौजूद नहीं हो सकता है, तो निस्संदेह कानून अनुच्छेद 15 (1) के खिलाफ उल्लंघन होगा।"

"इस देश में धारा 497 में भेदभाव का कारण यह तथ्य नहीं है कि महिलाओं का लिंग पुरुषों से अलग था, बल्कि यह है कि इस देश में महिलाएं इतनी स्थित थीं कि उनकी रक्षा के लिए विशेष कानून की आवश्यकता थी, और इस दृष्टिकोण से ही कोई व्यक्ति धारा 497 में पाता है कि एक स्थिति कानून जो कानून के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और धर्मार्थ दृष्टिकोण रखता है, अनुच्छेद 15 (1) के खिलाफ उल्लंघन करेगा।"

बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को उच्चतम न्यायालय ने *यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ बनाम बॉम्बे राज्य (उपरोक्त)* मामले में बरकरार रखा गया है ।सर्वोच्च न्यायालय के अधिपतियों ने कहाः

"लिंग एक ठोस वर्गीकरण है और यद्यपि अन्य सामान्य रूप से कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, इस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (3) द्वारा महिलाओं और बच्चों के मामले में विशेष प्रावधान प्रदान करता है। इस प्रकार एक साथ पढ़े जाने पर धारा-497 आई. पी. सी. के अंतिम वाक्य को मान्य करता है जो महिलाओं को व्यभिचार के अपराध के लिए उकसाने वाले के रूप में दंडित करने से रोकता है।"

55. *दत्तात्रेय बनाम बॉम्बे का राज्य* बॉम्बे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लिए बॉम्बे म्यूनिसिपल बरो एक्ट, 1925 की खंड 10 (1) (सी) में निहित प्रावधानों को बरकरार रखा।इस तर्क को खारिज करते हुए कि यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (1) और 15 (3) का उल्लंघन करता है, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहाः—

"अनुच्छेद 15 (3) स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 15 (1) का एक प्रावधान है और इसका प्रभाव होना चाहिए।सही तरीका है, अनुच्छेद 15 (3) का अर्थ यह है कि जबकि अनुच्छेद 15 (1) के तहत केवल लिंग के आधार पर पुरुषों के पक्ष में भेदभाव की अनुमति नहीं है, अनुच्छेद 15 (3) के कारण महिलाओं के पक्ष में भेदभाव की अनुमति है, और जब राज्य महिलाओं के पक्ष में भेदभाव करता है, तो यह अनुच्छेद 15 (1) के उल्लंघन नहीं करता है।इसलिए, अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 15 (3) के संयुक्त संचालन के परिणामस्वरूप राज्य पुरुषों के खिलाफ महिलाओं के पक्ष में भेदभाव कर सकता है, लेकिन यह पुरुषों के पक्ष में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकता है।

भले ही महिलाओं को आरक्षित सीटें देकर विशेष प्रावधान करने में राज्य ने पुरुषों के साथ भेदभाव किया हो, अनुच्छेद 15 (3) के कारण संविधान ने राज्य को ऐसा करने की अनुमति दी है, भले ही इस प्रावधान के परिणामस्वरूप केवल लिंग के आधार पर भेदभाव हो सकता है।इसलिए, बॉम्बे

अधिनियम की धारा 10 (एल) (सी) अनुच्छेद 15 (3) के कारण अनुच्छेद 15 (1) इसके खिलाफ अपराध नहीं करती है।

56. बंबई उच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 15 और 16 के बीच अंतर-संबंध पर विचार किया और कहाः—

“अनुच्छेद 16 एक सीमित विषय, राज्य द्वारा रोजगार या नियुक्ति के विषय से संबंधित है।"राज्य" अभिव्यक्ति का उपयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है जिसमें अनुच्छेद 12 परिभाषित करता है और अनुच्छेद 16 इस बात पर जोर देता है कि व्यक्तियों की नियुक्ति या नियुक्ति में राज्य सभी नागरिकों को समान अवसर देगा और किसी भी व्यक्ति को पद धारण करने के लिए अयोग्य नहीं बनाएगा या धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उस पद के संबंध में उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा।अनुच्छेद 15 अपने अनुप्रयोग में अधिक सामान्य है और यह भेदभाव के उन सभी मामलों से संबंधित है जो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 16 के तहत नहीं आते हैं।इसलिए, हालांकि भेदभाव का मामला अनुच्छेद 16 के तहत नहीं आ सकता है, फिर भी यह अनुच्छेद 15 (3) के तहत आ सकता है।”

श्रीमती अंजलि रॉय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य ए. आई. आर. 1952 कलकत्ता 825 में, कॉलेज अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को मिश्रित कॉलेज में प्रवेश देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। राज्य ने दलील दी कि इस इनकार का उद्देश्य महिला शिक्षा की उन्नति की दिशा में एक कदम के रूप में एक महिला कॉलेज का विकास करना था। राज्य के तर्क को बरकरार रखते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टिप्पणी कीः—

“अनुच्छेद 15 (1) द्वारा निषिद्ध भेदभाव केवल ऐसा भेदभाव है जो पूरी तरह से इस आधार पर आधारित है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष जाति या जाति का है या किसी विशेष धर्म का पालन करता है या किसी विशेष स्थान पर पैदा हुआ था या किसी विशेष लिंग का है और किसी अन्य आधार पर नहीं है।इनमें से एक या अधिक आधारों पर और अन्य आधारों पर भी भेदभाव अनुच्छेद से प्रभावित नहीं होता है।

अनुच्छेद 15 (3) वास्तव में महिलाओं के पक्ष में प्रावधान पर विचार करता है, हालांकि व्याकरण और व्युत्पत्ति के अनुसार 'के लिए' का अर्थ 'संबंधित' हो सकता है और हालांकि, सैद्धांतिक रूप से, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ उचित भेदभाव के बारे में सोचना संभव है जैसे कि उन्हें सार्वजनिक संग्रहालय के कुछ वर्गों या एक कला दीर्घा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जहां एक निश्चित प्रकार की प्रदर्शनी देखी जानी है।लेकिन 'के लिए प्रावधान' का सामान्य अर्थ निश्चित रूप से 'के पक्ष में प्रावधान' है।

खण्ड (3) स्पष्टतः अनुच्छेद 15 के खण्ड का अपवाद है। 15 और चूँकि इसका प्रभाव उस चीज़ को अधिकृत करना है जिसे अनुच्छेद 15 अन्यथा मना करता है, इसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि खंड (1) और (2) लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव को रोकते हैं। राज्य महिलाओं के पक्ष में विशेष प्रावधान बनाकर पुरुषों के खिलाफ भेदभाव कर सकता है।

गिरधर गोपाल बनाम राज्य ए. आई. आर. 1953 मध्य भारत 147 में, एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय दिया हैः

"अनुच्छेद 15 (1) के तहत निषिद्ध भेदभाव केवल लिंग या नस्ल आदि के आधार पर किया जाता है।यदि भेदभाव न केवल अनुच्छेद 15 (1) में वर्णित किसी भी आधार पर बल्कि औचित्य, सार्वजनिक नैतिकता, शालीनता, शिष्टाचार और शुद्धता के विचारों पर भी आधारित है, तो धारा 15 (11) के प्रावधानों से भेदभाव रखने वाला विधान प्रभावित नहीं होगा।"

मद्रास विश्वविद्यालय में कुलसचिव बनाम शांता बाई ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 67. द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों को बरकरार रखा।अनुच्छेद 15 (3) को ओवरराइडिंग प्रभाव के रूप में व्याख्या करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 15 (1) में कहाः

"अनुच्छेद 15 (3) का वास्तविक दायरा यह है कि अनुच्छेद 15 (1) के बावजूद, राज्य के लिए केवल महिलाओं के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना विधिसम्मत होगा और ऐसे संस्थानों से पुरुष छात्रों का बहिष्कार अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन नहीं करेगा।यह अनुच्छेद 15 (3) के अंतर्गत नहीं आने वाले शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों को उन संस्थानों से महिला छात्रों को प्रवेश देने या बाहर करने की शक्ति से असंगत नहीं है।दोनों कलाओं 15(3) और 29 (2) का संयुक्त प्रभाव यह है कि जहां पुरुष छात्रों को महिला महाविद्यालयों में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं है, वहीं अन्य महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए महिलाओं का अधिकार इन महाविद्यालयों के अधिकारियों के विनियमन के अंतर्गत आता है।अनुच्छेद 29 (2) एक विशेष अनुच्छेद है और जब प्रश्न महाविद्यालयों में प्रवेश से संबंधित है तो यह नियंत्रक प्रावधान है।"

57. *चोकी बनाम राज्य ए. आई. आर. 1957 राजस्थान 10* मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में निहित प्रावधान की वैधता को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था और यह माना गया है: -

"राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान वाले कानून बना सकता है, लेकिन केवल उनके लिंग के आधार पर उनके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।"

शमशेर सिंह हवकम सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (उपरोक्त) इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने पंजाब शिक्षा सेवाओं की महिला प्राचार्यों अराजपत्रित (कक्षा III) स्कूल संवर्ग को अधिक वेतन देने के लिए किए गए प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच की पूर्ण पीठ को भेजा गया मुद्दा थाः

"क्या अनुच्छेद 15 के खंड (3) के प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (2) के दायरे को समझने और निर्धारित करने के लिए लागू किया जा सकता है, और यदि हां, तो किस हद तक और किस तरह के मामलों में?"

न्यायमूर्ति सरकारिया ने *गजुला दशरथ राम राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 564. महाप्रबंधक, दक्षिणी रेलवे बनाम रंगाचारी ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 36., यूसुफ अहदुल अज़ीज़ बनाम बॉम्बे राज्य (उपरोक्त), और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दत्तात्रेय बनाम बॉम्बे (उपरोक्त)* में कहाः—

"अगर मैं सम्मान के साथ ऐसा कह सकता हूं, तो उपरोक्त इस मुद्दे पर कानून का सही कथन है।यदि अनुच्छेद 15 के खंड (1) और (2), जैसा कि दत्तात्रेय के मामले में माना गया है, यदि अनुच्छेद 16 में विशेष रूप से सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र सहित राज्य भेदभाव के पूरे क्षेत्र को शामिल किया गया है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि, एक तरह से, यह अनुच्छेद 16 में कही गई बातों को ओवरलैप और पूरक करता है।यह एक आवश्यक परिणाम के रूप में इस प्रकार है कि खंड (3) में अपवाद का दायरा और सामग्री सार्वजनिक रोजगार सहित राज्य भेदभाव के पूरे क्षेत्र में विस्तारित होगी।इस प्रकार, अनुच्छेद 15 के खंड (3) को अनुच्छेद 14,15 (1), 15 (2), 16 (1) और 16 (2) में निहित सामान्य गारंटी को अर्हता प्राप्त करने वाले परंतुक की प्रकृति में एक विशेष प्रावधान के रूप में माना जाना है।''

उन्होंने संदर्भ का उत्तर निम्नलिखित शब्दों में दियाः—

"अनुच्छेद 14 15 और 16, संवैधानिक गारंटी की एकल संहिता के घटक होने के नाते, एक दूसरे के पूरक होने के कारण, अनुच्छेद 15 के खंड (3) को अनुच्छेद 16 (2) के दायरे को समझने और निर्धारित करने के लिए लागू किया जा सकता है।और, यदि कोई विशेष प्रावधान पूरी तरह से अनुच्छेद 15 (3) के दायरे में आता है, तो इसे केवल इसलिए निरस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह केवल लिंग के आधार पर भेदभाव के बराबर भी हो सकता है।अनुच्छेद 15 (3) के तहत केवल महिलाओं के पक्ष में ऐसे विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जो उचित पाए जाते हैं और अनुच्छेद 16 (2) में निहित संवैधानिक गारंटी को पूरी तरह से समाप्त या भ्रामक नहीं बनाते हैं।"

माननीय न्यायमूर्ति एस. सी. मित्तल,माननीय न्यायमूर्ति ने सरकारिया से सहमति व्यक्त की, जबकि माननीय न्यायमूर्ति आर. एस. नरूला ने असहमतिपूर्ण राय दी।इसलिए, बहुमत से, राज्य की कार्रवाई को बरकरार रखा गया।

58. *श्रीमती रघुबंस सौदागर सिंह बनाम पंजाब राज्य गृह सचिव प्रभारी जेल विभाग, पंजाब सरकार और अन्य (उपरोक्त)* के माध्यम से द्वारा माननीय न्यायमूर्ति पी. यू. एन. की ए., इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ पंजाब जेल सेवा (श्रेणी-द्वितीय) नियम, 1963 में प्रावधान किया गया जिसके तहत महिलाओं को क्लर्क और मैट्रन के अलावा पुरुष जेलों में पोस्टिंग के लिए अयोग्य बना दिया गया। मामले की सुनवाई करने वाले माननीय न्यायमूर्ति ए.एन. ग्रोवर ने मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया। इसके बाद, एक डिवीजन बेंच जिसमें माननीय न्यायमूर्ति डी.के. महाजन और एस.एस. संधावालिया शामिल थे। मुद्दे पर विचार किया और प्रावधान को बरकरार रखा। ऐसा करते समय, खण्ड पीठ कहाः

"प्रस्ताव का उल्टा परीक्षण करना; यह कल्पना करना संभव है कि विशेष रूप से महिला जेल में, राज्य वार्डर और अन्य जेल अधिकारियों के पद से पुरुषों को बाहर करना/या समान विचार करना वांछनीय मान सकता है, जिन्हें ऐसी जेल की महिला कैदियों के साथ सीधे निकट संपर्क में आना पड़ सकता है।विशेष रूप से महिलाओं के शैक्षणिक संस्थानों में, राज्य केवल पुरुषों को छोड़कर महिलाओं, शिक्षकों और कर्मचारियों को नियुक्त करने पर विचार कर सकता है जैसा कि वास्तव में कई संस्थानों में किया गया है।"

59. *बी. आई. एन. बी. आर. डब्ल्यू. आचार्य बनाम गुजरात राज्य बनाम एक अन्य 1988 एल, एबी।आई. सी. 1465.* मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक ऐसे मामले पर विचार किया जो हमारे समक्ष मामलों के समान है।वहाँ भी, परिवीक्षा अधिकारियों का संवर्ग पुरुष और महिला के लिए आम था।हालांकि, निराश्रित महिला, अविवाहित माताओं और अन्य समान रूप से स्थित महिलाओं के लिए संस्थान के प्रमुख के पद के लिए, केवल महिलाओं को ही पात्र माना जाता था।याचिकाकर्ता ने पदोन्नति को इस आधार पर चुनौती दी कि जब पुरुष और महिला का एक समान कैडर था, तो राज्य लिंग के आधार पर पदोन्नति के मामले में उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता था।महिला अधिकारी की पदोन्नति को बरकरार रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहाः—

"जिन संस्थानों की अध्यक्षता महिला अधीक्षक करती हैं, वे विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं और यह सरकार को नीतिगत रूप से तय करना है कि ऐसे संस्थानों का नेतृत्व केवल सामान्य अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए या नहीं।केवल इसलिए कि किसी स्तर पर एक सामान्य संवर्ग होता है जिसमें दोनों लिंगों के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च संवर्ग के सभी पदों को दोनों लिंगों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भी भरा जाना चाहिए।निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह राज्य सरकार के लिए खुला है कि वे संस्थान जो हैं विशेष रूप से महिलाओं के लिए इसका नेतृत्व केवल महिला या महिला अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।सरकार को ऐसे संस्थानों का नेतृत्व करने के लिए

पुरुष अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, अगर वह ऐसा करना उचित नहीं समझती है।यदि महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान किया जाता है, तो याचिकाकर्ता यह शिकायत नहीं कर सकते कि उनके साथ भेदभाव किया गया है।संयोग से यह बताया जा सकता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।तथापि, उक्त अनुच्छेद के खंड (3) में यह प्रावधान है कि "इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।"इसलिए, मुझे याचिकाकर्ताओं के इस तर्क में कोई सार नहीं मिलता है कि उन्हें महिला अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए योग्य माना जाना चाहिए।"

60. *एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्जा 1981 (4) एस. सी. सी 335* में, सर्वोच्च न्यायालय ने *यूसुफ अब्दुल अज़ीज़ बनाम राज्य सरकार* में व्यक्त किए गए विचार को दोहराया अर्थात्, अनुच्छेद 15 और 16 केवल लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं और अन्य परिस्थितियों के साथ लिंग के आधार पर नहीं।

61. *आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. एस. विजयकुमार और एक अन्य ए. आई. आर., 1995 एस. सी. 1648.* मामले में, उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के फैसले की शुद्धता की जांच की, जिसने ए. पी. आई. स्टेट एंड सबऑर्डिनेट, सर्विस रूल्स के नियम 22-ए को निरस्त कर दिया था, जिसमें उन पदों पर सीधी भर्ती के मामले में महिलाओं को वरीयता प्रदान की गई थी, जिनके लिए महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक उपयुक्त हैं और जो केवल महिलाओं के बीच से भरे जाने वाले पदों के लिए भी प्रावधान करते हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।उच्च न्यायालय के फैसले के समर्थन में उठाई गई दलीलों में से एक यह थी कि नियम 22-ए अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन करता है और इसे संविधान के अनुच्छेद 15 (3) के आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है।अनुच्छेद 14 और 15 की योजना पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहाः

"दूसरे शब्दों में, जबकि अनुच्छेद 15 (1) राज्य को केवल लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव कानून बनाने से रोकता है, अनुच्छेद 15 (1) के बावजूद राज्य को अनुच्छेद 15 (3) के आधार पर अनुमति दी गई है।महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करना, इस प्रकार, स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 15 (1) की कठोरताओं से अनुमेय विचलन करना। अनुच्छेद 16 (2) का दायरा अनुच्छेद 15 (1) की तुलना में अधिक सीमित है क्योंकि यह राज्य के तहत रोजगार या कार्यालय तक ही सीमित है।दूसरी ओर, अनुच्छेद 15 (1) में राज्य की गतिविधियों की पूरी श्रृंखला शामिल है।साथ ही, अनुच्छेद 16 (2) के तहत भेदभाव के निषिद्ध आधार अनुच्छेद 15 (2) के तहत भेदभाव के कुछ व्यापक आधार हैं क्योंकि अनुच्छेद 16 (2) धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के अलावा वंश और निवास के अतिरिक्त आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।"

अनुच्छेद 15 (3) के समान अनुच्छेद 16 में प्रावधान की अनुपस्थिति में पर आधारित तर्क को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहाः—

"यह तर्क अनुच्छेद 15 (3) की उपेक्षा करता है।इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में अनुच्छेद 14,15 और 16 के बीच अंतर-संबंध पर विचार किया गया है।अनुच्छेद 15 इस देश के नागरिकों के संबंध में हर प्रकार की राज्य कार्रवाई से संबंधित है।राज्य की गतिविधि का प्रत्येक क्षेत्र अनुच्छेद 15 (1) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।इसलिए, राज्य के तहत अनुच्छेद 15 (1) रोजगार के दायरे से बाहर करने का कोई कारण नहीं है।"

उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा किः

"इसलिए, राज्य के तहत रोजगार से निपटने में इसे अनुच्छेद 15 और 16 दोनों को ध्यान में रखना होगा-पहला अधिक सामान्य प्रावधान है और दूसरा, एक अधिक विशिष्ट प्रावधान है।चूँकि,अनुच्छेद 16 में महिलाओं के लिए किसी विशेष प्रावधान का उल्लेख नहीं है।यह किसी भी तरह से अनुच्छेद 15 (3) के तहत इस संबंध में राज्य को प्रदत्त शक्ति का अपमान नहीं कर सकता है।अनुच्छेद 15 (3) द्वारा प्रदत्त यह शक्ति राज्य के तहत रोजगार सहित राज्य की गतिविधियों की पूरी श्रृंखला को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

उच्चतम न्यायालय ने आगे कहाः

"महिलाओं के संबंध में अनुच्छेद 15 के खंड (3) को शामिल करना इस तथ्य की मान्यता है कि सदियों से इस देश की महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से विकलांग रही हैं।नतीजतन, वे समानता के आधार पर राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थ हैं।यह महिलाओं के इस सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को समाप्त और उन्हें इस तरह से सशक्त बनाने के लिए है जिससे पुरुषों के बीच प्रभावी समानता आए। इसका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना और सुधारना है।लैंगिक समानता की इस अवधारणा का एक महत्वपूर्ण अंग महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा करना है।यह समझना कि अनुच्छेद 15 (3) के तहत नौकरी के अवसर पैदा नहीं किए जा सकते हैं, इस अनुच्छेद के पीछे अंतर्निहित प्रेरणा की जड़ को काटना होगा।राज्य के तहत रोजगार या पदों के संबंध में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करना अनुच्छेद का एक अभिन्न अंग है।अनुच्छेद 15 (3) के तहत प्रदत्त इस शक्ति को अनुच्छेद 16 द्वारा किसी भी तरह से कम नहीं किया गया है।"

उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि नियम 22-ए केवल लिंग के आधार पर भेदभाव लाता है और कहा कि नियम को अनुच्छेद 15 (3) के तहत राज्य में निहित शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में पढ़ा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों से पता

चलता है कि अनुच्छेद 15 (3) को आरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ सकारात्मक कार्रवाई के रूप में माना गया हैः

“हालाँकि, हमें यह मानने का कोई कारण नहीं मिलता है कि यह नियम अनुच्छेद 15 (3) के दायरे में नहीं है, और न ही हम इसे किसी भी तरह से अनुच्छेद 16 (2) या 16 (4) का उल्लंघन करने वाला पाते हैं, जिसे अनुच्छेद 15 (1) और 15 (3) के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए।राज्य के तहत रोजगार या पदों के संबंध में अनुच्छेद 15 (3) के तहत आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई दोनों की अनुमति है।अनुच्छेद 15 और 16 दोनों एक समतावादी समाज के निर्माण के समान उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं।जैसा कि माननीय न्यायमूर्ति थॉममेन ने लेंद्र साहनी के मामले (1992 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3682) (ऊपर) में कहा है (हालाँकि उनका निर्णय एक अल्पमत निर्णय है), "समानता भारतीय लोकतंत्र की शानदार आधारशिलाओं में से एक है।" हालाँकि, हमें अभी उस कोने को मोड़ना है।उस उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि अनुच्छेद 15 (3) को अनुच्छेद 16 के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाए ताकि उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके जिसके लिए ये अनुच्छेद बनाए गए हैं।”

62. मामले के इस पहलू को समाप्त करने से पहले, *इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (उपरोक्त)* मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर ध्यान देना उचित माना जाता है।बहुमत के लिए बोलते हुए जीवन रेड्डी ए*म. आर. बालाजी (उपरोक्त)*, टी. देवदासन बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1964 एस. सी.17., *और केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस* ए. *आई. आर:1975.एसयूसी. आर. 490.* में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद, और फिर टिप्पणी की गई:

“अनुच्छेद 16 (1) अपने द्वारा सुनिश्चित अवसर की समानता की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है।अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए, कुछ स्थितियों में असमान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना आवश्यक हो सकता है।ऐसा न करने से असमानता कायम रहेगी और बढ़ेगी।अनुच्छेद 16 (1) इस तरह के वर्गीकरण का एक उदाहरण है, जिसे विवाद से परे रखा गया है।"नागरिकों के पिछड़े वर्ग" को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों/पदों के आरक्षण की प्रकृति में विशेष उपचार के योग्य है।तदनुसार, हम मानते हैं कि अनुच्छेद 16 का खंड (4) अनुच्छेद 16 के खंड (1) का अपवाद नहीं है।यह खंड (1) में निहित और अनुज्ञात वर्गीकरण का एक उदाहरण है।”

63. त्रिस्तरीय उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून के उन्मूलन के आलोक में, विवादित नियम की गहन जांच की आवश्यकता है।इस नियम को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह केवल लिंग के आधार पर महिलाओं के पक्ष में भेदभाव करना चाहता है।इस संदर्भ में, यह ध्यान दें महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए कॉलेज स्थापित करने

की सरकार की कार्रवाई को चुनौती नहीं दी है।ऐसी किसी भी चुनौती को आम तौर पर खारिज कर दिया जाता क्योंकि यह मुख्य रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि वह यह निर्धारित करे कि उसे किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने चाहिए।विशेष रूप से महिला महाविद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य महिला छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।हमारी सामाजिक संरचना में महिलाओं को कई शताब्दियों से समाज के एक कमजोर और विकलांग खंड के रूप में पहचाना जाता रहा है।एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिसमें महिला छात्र उच्च शिक्षा के लिए प्रयास आदेश सकें और इस तरह राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें, सरकार ने न केवल विशेष रूप से महिलाओं के लिए महाविद्यालयों की स्थापना की है, बल्कि देश में विशेष विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की है।इसके कारण ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली महिला छात्रों के महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में लोग आए हैं।जो लोग उच्च शिक्षा के लिए जाने की शायद ही कल्पना कर समर्थ थे, वे अब विशेष रूप से महिलाओं के लिए बने कॉलेजों में शामिल हो समर्थ हैं।

64. यदि विशेष रूप से महिला महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, तो उस नियम को चुनौती देने में बहुत कम योग्यता है जिसके द्वारा ऐसे महाविद्यालयों की प्रधानता महिलाओं के लिए निर्धारित करने की मांग की गई है।महिला महाविद्यालय के प्राचार्य से अपेक्षा की जाती है कि वह एक ओर शिक्षकों और कर्मचारियों और दूसरी ओर शिक्षकों और छात्रों के बीच घनिष्ठ समन्वय बनाए रखे।प्रधानाचार्य को महिला छात्रों के कल्याण का विशेष ध्यान रखने और उन्हें शिक्षा के अलावा ऐसी गतिविधियों में शामिल करने की भी आवश्यकता है, जो उन्हें सभी आयामों में उनके व्यक्तित्व के विकास में मदद करेंगे।यह तभी संभव हो सकता है जब प्राचार्य छात्रों के साथ व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखें।एक पुरुष प्राचार्य की तुलना में, एक महिला प्राचार्य इस नौकरी के लिए बेहतर है।पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, खंड III के अध्याय 19 में उल्लिखित प्राचार्य की शक्तियाँ और कार्य केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।प्रशासनिक निर्णय लेने के अलावा, एक प्राचार्य को संस्थान के समग्र विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करना चाहिए और ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां महिला छात्र समाज के महिला वर्ग को मुख्य राष्ट्रीय धारा में लाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर सकें।इस प्रकार, विवादित नियम का प्राथमिक उद्देश्य महिला महाविद्यालयों के सुचारू और कुशल संचालन का प्रावधान करना है।प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का लिंग एक कारक था।ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 15 (3) के दायरे में आएगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन नहीं करेगा। मेरी राय में, *शमशेर सिंह हुकुम सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (उपरोक्त)*, में पूर्ण पीठ *द्वारा निर्धारित कानून और श्रीमती रघुबंस सौदागर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (उपरोक्त)* में खण्ड पीठ_द्वारा *की गई टिप्पणियां कानून* के *सही प्रस्ताव का प्रतिनिधित्व करती हैं।इस* प्रकार, मेरी राय में, विवादित नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद

14,15 और 16 में निहित समानता खंडों का उल्लंघन नहीं करता है और रिट याचिकाओं को खारिज किया जा सकता है (टी. एच. बी. चलपति, जे. सहमत)।

65. मेरी राय में, *शमशेर सिंह के मामले (ऊपर) में* पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून और *श्रीमती रघुबंस सैतसागर सिंह के मामले (ऊपर)* में खण्ड पीठ द्वारा की गई टिप्पणियां कानून के सही प्रस्ताव का प्रतिनिधित्व करती हैं।इसके अलावा, *आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. बी. विजय कुमार (ऊपर)* मामले में उच्चतम न्यायालय ने उसी सिद्धांत को स्पष्ट रूप से मान्यता दी जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा *दत्तात्रेय मोतीराम मोरे बनाम बॉम्बे राज्य (ऊपर)* मामले में निर्धारित किया गया है और जिसके बाद हमारे न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा है कि अनुच्छेद 14 (3) रोजगार के क्षेत्र को भी शामिल करने के लिए पर्याप्त है।इस प्रकार, मेरी राय में, विवादित नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 में निहित समानता खंडों का उल्लंघन नहीं करता है और रिट याचिकाओं को खारिज किया जा सकता है।

66. मुझे माननीय न्यायमूर्ति सेठी (अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश) और माननीय न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी द्वारा तैयार किए गए निर्णयों को देखने का लाभ मिला है। लेकिन उनके प्रति पूरे सम्मान के साथ, मैं उनके इस विचार से सहमत होने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया कि उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई कि रखरखाव के संबंध में पहली प्रारंभिक आपत्ति प्रतिवादी द्वारा उठाई गई रिट याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए।इस पूर्ण पीठ द्वारा जिन दो मामलों का निपटारा किया जा रहा है, उनके तथ्य माननीय न्यायमूर्ति सेठी द्वारा संक्षिप्त रूप से बताए गए हैं और उन्हें यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है।यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि दोनों मामलों में याचिकाकर्ता चंडीगढ़ के सरकारी कॉलेजों में काम करने वाले सबसे वरिष्ठ व्याख्याता होने का दावा करते हैं और इसलिए, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सरकारी कॉलेज में प्राचार्य के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हैं।गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, सेक्टर-11 में प्राचार्य का पद चंडीगढ़ 3 जुलाई, 1994 को खाली हो गया था और दोनों याचिकाकर्ताओं को पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड III के अध्याय VII (ii) में निहित विनियमन 5 को देखते हुए उक्त पद के लिए विचार किए जाने के लिए अयोग्य माना गया है जो चंडीगढ़ में सरकारी कॉलेजों को नियंत्रित करता है।पक्षकारों के बीच यह सामान्य आधार है कि याचिकाकर्ता चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारी हैं जो एक केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ में यू. टी. कॉलेज कैडर में पैदा होते हैं और चंडीगढ़ में सरकारी कॉलेजों में व्याख्याताओं के रूप में काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं की एक सामान्य वरिष्ठता सूची है।यह भी विवाद में नहीं है कि चंडीगढ़ के सरकारी कॉलेज पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं और इस तरह की संबद्धता के कारण वे इसके नियमों और विनियमों द्वारा शासित हैं।पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड III के अध्याय VII (ii) में निहित विनियम 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महिला महाविद्यालय की प्राचार्य एक महिला होगी।महिला महाविद्यालय के प्राचार्य पद के लिए याचिकाकर्ताओं पर विचार नहीं करने की चंडीगढ़ प्रशासन की कार्रवाई पर संविधान के

अनुच्छेद 226 के तहत दायर वर्तमान याचिकाओं में आपत्ति जताई गई है, जिसमें उपरोक्त विनियमन 5 के अधिकारों को चुनौती दी गई है।

67. बहस के दौरान उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई पहली प्रारंभिक आपत्ति यही है चूंकि याचिकाकर्ता केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के कर्मचारी हैं, इसलिए उन्हें अपनी शिकायतों के निवारण के लिए प्रशासनिक न्यायालय अधिनियम, 1985 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) के तहत गठित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय से संपर्क करना चाहिए और अधिनियम की खंड 28 में निहित बाधा को देखते हुए, रिट याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं।मेरा मानना है कि इस आपत्ति में योग्यता है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह तर्क देते हुए आपत्ति को पूरा करने की मांग की कि वे रिट याचिकाओं में जिसे चुनौती दे रहे थे, वह पंजाब विश्वविद्यालय के विनियमन 5 के अधिकार क्षेत्र में था जो न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसलिए, उक्त विनियमन के अधिकार क्षेत्र में आ सकते हैं। न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी जाएगी।उन्होंने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी होने के नाते अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय से कोई राहत का दावा नहीं कर सकते।प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं ने यह रुख अपनाया कि इस न्यायालय को केवल विनियमन 5 को अधिकार अधिकारातीत घोषित करना चाहिए और उसके बाद याचिकाकर्ताओं को आवश्यक राहत के लिए न्यायाधिकरण का रुख करने के लिए छोड़ देना चाहिए।मेरे विचार से ऐसा नहीं किया जा सकता है।

68. यह अधिनियम संसद द्वारा अनुच्छेद 323-ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है, जिसे 1977 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में लाया गया था। अधिनियम का उद्देश्य संघ या केंद्र शासित प्रदेश या किसी राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के प्रशासनिक न्यायालयों द्वारा निर्णय या परीक्षण के लिए और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान करना था।अधिनियम की खंड 28टी ऐसे कर्मचारियों के सेवा मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों की अधिकार क्षेत्र को बाहर करता है और इसे संदर्भ की सुविधा के लिए यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः—

“28. उच्चतम न्यायालय को छोड़कर न्यायालयों की अधिकार क्षेत्र का बहिष्करण।—जिस तारीख से किसी न्यायाधिकरण द्वारा इस अधिनियम के तहत किसी भी सेवा या पद या सेवा मामलों में भर्ती से संबंधित मामलों में किसी भी सेवा के सदस्यों या किसी सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और प्राधिकरण प्रयोग करने योग्य हो जाता हैI इसके अलावा कोई अदालत नहीं -

(a) उच्चतम न्यायालय; या

(b) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1977 या उस समय लागू किसी अन्य संबंधित कानून के तहत गठित कोई औद्योगिक न्यायाधिकरण, श्रम न्यायालय या अन्य प्राधिकरण।

ऐसी भर्ती या ऐसी भर्ती या सेवा मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में किसी भी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों या प्राधिकरण का प्रयोग करने का अधिकार होगा।"

सामान्य रूप से अधिनियम और विशेष रूप से खंड 28 के अधिकारों को *एस. पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ ए. एल. आर. 1987 एस. सी. 386*, में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।सेवा मामलों में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण को बरकरार रखते हुए, उनके अध्यक्षों ने कहा कि इस तरह का बहिष्करण न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से बाधित नहीं करता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा को अछूता छोड़ दिया गया है।निर्णय के पैरा 15 में उनके प्रभुत्व का उल्लेख इस प्रकार किया गया है:

मिनर्वा मिल्स मामले में यह अदालत, ने बताया कि "प्रभावी वैकल्पिक संस्थागत तंत्र या न्यायिक समीक्षा के लिए व्यवस्था" संसद द्वारा की जा सकती है।इस प्रकार न्यायिक समीक्षा प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय के स्थान पर एक वैकल्पिक संस्थान की स्थापना करना संभव है।"

और फिर से पैरा 16 में यह निम्नानुसार देखा गया है:—

अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत इसमें निर्दिष्ट मामलों के संबंध में इस न्यायालय को छोड़कर न्यायालयों की सभी शक्तियां न्यायाधिकरण में निहित हैं-चाहे वह केंद्रीय हो या राज्य।इस प्रकार न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय का स्थानापन्न है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार है।"

हमारे सामने यह विवादित नहीं है और शायद यह नहीं हो सकता था कि अधिनियम के तहत गठित एक न्यायाधिकरण उन सभी शक्तियों का प्रयोग करता है जो उच्च न्यायालय सेवा मामलों के संबंध में पहले से प्रयोग कर रहा है और यह कि न्यायाधिकरण किसी भी अधिनियम या नियमों के अधिकारों की भी जांच कर सकता है जो ऐसे मामलों पर असर डालते हैं।धारा 14 और 15 यह आत्यन्तिक रूप से स्पष्ट करती है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण या राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, उच्चतम न्यायालय को छोड़कर उच्च न्यायालयों सहित सभी न्यायालयों द्वारा नियत दिन से तुरंत पहले प्रयोग की जाने वाली सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकरण का प्रयोग करेगा।ऐसा होने पर, याचिकाकर्ता पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए विनियमन 5 की वैधता को चुनौती दे सकते हैं, जो उनके रास्ते में बाधा बन रहा है और उन्हें न्यायाधिकरण के समक्ष महिला महाविद्यालय में प्राचार्य के पद के लिए विचार करने से वंचित कर रहा है।आखिरकार वे हमारे सामने जिसे चुनौती दे रहे हैं वह केवल इस विनियमन की वैधता है

और चूंकि इसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, इसलिए इन याचिकाओं पर विचार करने के लिए इस न्यायालय की अधिकार क्षेत्र अधिनियम की खंड 28 द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित है।

यह तर्क कि विनियमन 5 पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है जो न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसलिए, इसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है, मेरी राय में, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विनियमन पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इसे लागू किया जा रहा है और उस पर कार्रवाई की जा रही है जिससे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और यह महिला महाविद्यालय में प्राचार्य के पद के लिए याचिकाकर्ताओं पर विचार नहीं करने की चंडीगढ़ प्रशासन की कार्रवाई है जिसे चुनौती दी जा रही है।इस विनियमन को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अपनाया गया माना जाएगा, चाहे वह पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया हो।अतः ऐसा कोई कारण नहीं है कि केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले इस विनियमन को न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकी।विश्वविद्यालय को न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकार होने की आवश्यकता नहीं है और यदि विनियमन को न्यायाधिकरण द्वारा अधिकार अधिकारातीत घोषित किया जाता है, तो वह चंडीगढ़ प्रशासन को अपने कॉलेजों में उसी नियम को लागू नहीं करने का निर्देश देगा।याचिकाकर्ताओं द्वारा बताई गई कथित विसंगति यह है कि ऐसी स्थिति में विनियमन 5 चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संचालित कॉलेजों के लिए अमान्य है, लेकिन यह चंडीगढ़ के बाहर के कॉलेजों के लिए मान्य होगा जो पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं।ऐसा हो सकता है, लेकिन यह इस न्यायालय को केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों की ओर से याचिकाओं पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा।भले ही यह विनियमन चंडीगढ़ के बाहर पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के लिए मान्य है, लेकिन यह तब तक उनके लिए काम करता रहेगा जब तक कि इसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय सहित किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित नहीं कर दिया जाता है और मुझे ऐसी स्थिति में कोई विसंगति नहीं मिलती है।मेरे विचार से, यदि याचिकाकर्ताओं के तर्क को स्वीकार किया जाए तो यह विसंगत होगा।यह न्यायालय पहले एक याचिका पर विचार करेगा और यह घोषणा करेगा कि विनियमन अधिकार अधिकारातीत है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को कोई राहत देने में खुद को असहाय पाएगा क्योंकि खंड 28 की बाधा के कारण वे एक केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी हैं और उसके बाद उन्हें आवश्यक राहत प्राप्त करने के लिए न्यायाधिकरण जाना होगा।मेरी राय में, कानून ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं कर सकता था जहां याचिकाकर्ताओं को आवश्यक राहत प्राप्त करने के लिए अलग-अलग रूपों में दो याचिकाएं दायर करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।यदि वे सीधे न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर करते हैं और विनियमन के अधिकारों को सफलतापूर्वक चुनौती देते हैं, तो उन्हें न्यायाधिकरण से आवश्यक राहत

मिलेगी।इसलिए, मैं पहली प्रारंभिक आपत्ति को प्रतिग्रहण करना करता हूं और मानता हूं कि वर्तमान याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं।परिणामस्वरूप याचिकाओं को याचिकाकर्ताओं को इस उद्देश्य के लिए स्थापित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया जाता है।

69. जहां तक प्रतिवादी द्वारा उठाई गई दूसरी प्रारंभिक आपत्ति का संबंध है, मैं अपने विद्वान सहकर्मी न्यायाधीश से सहमत हूं कि यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत अपनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सामान्य रूप से अधिक घोषणात्मक रिट नहीं देता है या जारी नहीं करता है जब तक कि पीड़ित व्यक्ति ने मांग नहीं की है और उसे परिणामी राहत भी दी जा सकती है, लेकिन किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय राहत को ढाल सकते हैं और केवल घोषणा के माध्यम से इसे प्रदान कर सकते हैं।हालांकि, वर्तमान मामले में, पहले ही यह माना जा चुका है कि रिट याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं और इसलिए, याचिकाकर्ताओं को घोषणा के माध्यम से कोई राहत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

70. चूंकि मैं प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रख रहा हूं और न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली याचिकाओं को वापस करने का निर्देश दे रहा हूं, इसलिए मेरे लिए उपरोक्त निर्दिष्ट विनियम 5 की वैधता के संबंध में कोई विचार व्यक्त करना आवश्यक नहीं है।दल अपना खर्च स्वयं उठाएंगे।

71. मेरी राय थी कि याचिकाओं को अधिनियम की खंड 28 के तहत वर्जित किया गया था, और इसलिए, उन्हें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए वापस करना पड़ा।इस मामले के इस दृष्टिकोण में मैंने पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खण्ड III के अध्याय VII (ii) में विनियमन 5 की वैधता के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की। प्रारंभिक आपत्ति पर मेरे इस विचार से पूर्ण पीठ का गठन करने वाले सहकर्मी न्यायमूर्तिगण ने सहमति नहीं जताई है, जो विचाराधीन विनियमन की वैधता के संबंध में समान रूप से विभाजित हैं।इसलिए मेरे लिए भी विनियमन आवश्यक हो गया है।

72. मैंने अपने सहकर्मी न्यायमूर्तिगण के निर्णयों को ध्यान से देखा है और उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के पूरे सम्मान के साथ, मैं माननीय न्यायमूर्ति सेठी से सहमत हूं कि विवादित विनियमन अधिकार अधिकारातीत और असंवैधानिक है।इस विनियमन के पीछे कोई वापसी योग्य नहीं है जो महिला महाविद्यालय में शिक्षण कर्मचारी के सबसे वरिष्ठ सदस्य को केवल इस आधार पर उसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में नियुक्त होने से वंचित कर दे कि वह एक पुरुष सदस्य है, चाहे वह अन्यथा उपयुक्त और योग्य क्यों न हो।शिक्षण कर्मचारियों की एक सामान्य वरिष्ठता सूची होती है और कर्मचारियों का एक पुरुष सदस्य महिला महाविद्यालय में एक विभाग का प्रमुख हो सकता है लेकिन उसके प्राचार्य नहीं।यह मेरे लिए बहुत ही असंगत है।हालांकि, किसी पुरुष को

छात्रावास वार्डन या महिला कॉलेज में प्रभारी डॉक्टर के रूप में नियुक्त नहीं करने पर विचार अलग-अलग हैं।मुझे आगे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है और सेठी,माननीय न्यायमूर्ति द्वारा दर्ज किए गए विस्तृत कारणों के लिए यह माना जाना चाहिए कि विवादित विनियमन असंवैधानिक है।

73. मेरे विद्वान सहकर्मी न्यायमूर्तिगण माननीय न्यायमूर्ति सेठी, माननीय न्यायमूर्ति सिंघवी, और माननीय न्यायमूर्ति सोधी के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए मैं तथ्यों का वर्णन करने के लिए समय निकाले बिना दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर सीधे विचार करने का प्रस्ताव करता हूं।इस याचिका में विचार के लिए जो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं, वे मेरे विद्वान सहकर्मी माननीय न्यायमूर्ति सेठी द्वारा तैयार किए गए हैं। पहला प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका की स्थिरता के बारे में है, दूसरा यह है कि क्या इस न्यायालय द्वारा परिणामी राहत के बिना केवल घोषणा की जा सकती है, और तीसरा यह है कि क्या पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर के अध्याय VII (ii) का विवादित नियम 5 संवैधानिक रूप से मान्य है।पहले दो प्रश्न हैं मेरे विद्वान सहकर्मी माननीय न्यायमूर्ति सेठी ने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के बाद उनसे बहुत अच्छी तरह निपटा।न्यायमूर्ति सेठी ने अभिनिर्धारित किया है कि यह रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय है और यह न्यायालय उचित मामलों में बिना किसी परिणामी राहत के केवल घोषणात्मक राहत प्रदान कर सकता है।माननीय न्यायमूर्ति सिंघवी ने भी माननीय न्यायमूर्ति सेठी द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की है, दूसरी ओर विद्वान माननीय न्यायमूर्ति सोढ़ी ने यह विचार रखते हुए कि यह न्यायालय उचित मामलों में केवल घोषणात्मक राहत दे सकता है, यह अभिनिर्धारित किया है कि इस न्यायालय को इन याचिकाओं पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और इन याचिकाओं को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में प्रस्तुत करने के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। माननीय न्यायमूर्ति सोधी के प्रति बहुत सम्मान के साथ, मैं उनके द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक असहमत हूं और मैं इन दो प्रश्नों पर अपने विद्वान माननीय न्यायमूर्ति सेठी और माननीय न्यायमूर्ति सिंघवी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हूं।

(2) तीसरा प्रश्न विवादित प्रावधान (जिसे मेरे विद्वान भाई सिंघवी ने अपने निर्णय में निकाला है) की संवैधानिक वैधता के संबंध में है जिसके तहत पंजाब विश्वविद्यालय ने महिला महाविद्यालय के प्राचार्य का पद केवल एक महिला के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है। इस पहलू पर विचार करते हुए विद्वान माननीय न्यायमूर्ति सेठी ने संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह प्रावधान समान खंड का उल्लंघन करने वाले संविधान के प्रावधानों अधिकारातीत है और प्रतिवादी ने भेदभाव को उचित नहीं ठहराया है।जबकि माननीय न्यायमूर्ति सिंघवी ने माननीय न्यायमूर्ति सेठी से असहमति जताई है और इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है,

माननीय न्यायमूर्ति सोढ़ी ने अपने इस निष्कर्ष के मद्देनजर इस पहलू पर कोई विचार व्यक्त करने का विकल्प नहीं चुना है कि यह रिट याचिका इस अदालत के समक्ष विचारणीय नहीं है और यह कि यह केवल प्रशासनिक न्यायाधिकरण है जिसके पास इस मामले में जाने का अधिकार क्षेत्र है, हमारे सामने सवाल उठाया गया।अन्य दो सहकर्मी न्यायमूर्तिगण के प्रति बहुत सम्मान के साथ, मैं माननीय न्यायमूर्ति सेठी द्वारा अपने विस्तृत निर्णय में दिए गए कारणों के लिए व्यक्त किए गए विचार से पूरी तरह सहमत हूं।लेकिन, मैं इसके समर्थन में केवल निम्नलिखित जोड़ना चाहूंगाः—

3. महाविद्यालयों को दो श्रेणियों 'महिला महाविद्यालय' और 'अन्य महाविद्यालय' में विभाजित किया जा सकता है। राज्य अन्य कॉलेजों में पुरुषों की नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, जहां दोनों लिंगों के छात्रों को शिक्षा दी जाती है, हालांकि यह संस्थानों के लिए खुला हो सकता है कि वे या तो महिला छात्रों को दाखिला दें या नहीं। लेकिन, तथ्य यह है कि ऐसे संस्थानों में जहां महिला और पुरुष दोनों पढ़ते हैं, उन्हें शिक्षा दी जाती है, पंजाब विश्वविद्यालय यह शर्त नहीं लगाता है कि ऐसे संस्थान की प्रिंसिपल केवल एक महिला होनी चाहिए। विवादित नियम 5 बताता है कि महिला महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में केवल एक महिला को नियुक्त किया जाना चाहिए।संविधान का अनुच्छेद 14 राज्य को किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करने का कर्तव्य देता है।इस लेख को वह जाति माना गया है जिसकी प्रजातियाँ अनुच्छेद 15 और 16 हैं।अनुच्छेद 15 राज्य को किसी भी नागरिक के साथ केवल लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अनुच्छेद 15 (3) 'राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।संविधान के अनुच्छेद 16 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नागरिक को रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है।यहां तक कि अनुच्छेद 15 केवल लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, लेकिन, यदि अन्य विचार हैं, तो राज्य निश्चित रूप से लिंग वरीयता के साथ अन्य विचारों पर भेदभाव करने का हकदार है।इसलिए, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या केवल लिंग के आधार के अलावा कोई अन्य विचार हैं, जो पंजाब विश्वविद्यालय को महिला महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर केवल एक महिला की नियुक्ति के लिए यह नियम बनाने के लिए प्रेरित कर सकता था।

4. आक्षेपित नियम 5 से ऐसा प्रतीत होता है कि आरक्षण का लाभ नियुक्तिकर्ता को नहीं देने की मंशा है बल्कि कुछ अन्य लोगों को, यानी उन महिला छात्रों को, जिन्हें उस संस्थान में शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें नियुक्ति की जाती है।प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि महिला छात्रों के पुरुष प्राचार्य की तुलना में महिला प्राचार्य के साथ बेहतर संबंध और बूझ हो सकती है, क्या इसे औचित्य माना जा सकता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए एक कॉलेज होने में राज्य की ओर से कार्रवाई निश्चित रूप से उनकी उन्नति के लिए हो सकती है, लेकिन साथ ही यह तर्क भी कि केवल एक महिला प्राचार्य ही महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं की

बेहतर समझ रख सकती है, या यह केवल एक महिला प्रधानाचार्य है जो छात्रों को अपने करियर की बेहतरी के लिए गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में शामिल कर सकती है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।केवल इस विचार को पुष्ट करने के लिए कि मैंने शुरुआत में कॉलेजों की दो श्रेणियों का उल्लेख किया है, अर्थात् 'महिला महाविद्यालय' और 'अन्य महाविद्यालय'।'अन्य महाविद्यालय' में पुरुष और महिला दोनों अध्ययन करते हैं और ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्य पुरुष हो सकते हैं।यदि ऐसे कॉलेजों में एक पुरुष-प्राचार्य महिला छात्रों के करियर को उनके करियर की बेहतरी के लिए आकार दे सकता है, तो विशेष रूप से महिलाओं के लिए बने कॉलेज में नियुक्त एक पुरुष प्राचार्य भी यही काम कर सकता है।यदि महिला छात्रों के लिए किसी भी सुरक्षा या सहायता की आवश्यकता है, तो यह एक ऐसे कॉलेज में हो सकता है जहां पुरुष और महिला दोनों पढ़ते हैं, क्योंकि महिला छात्रों को ऐसे कॉलेजों में अधिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है जहां अन्य लिंग के छात्रों की संख्या अधिक होगी।ऐसे महाविद्यालय में एक छात्रा को महिला प्राचार्य की समझ, स्नेह और मातृवत् देखभाल की आवश्यकता हो सकती है।जबकि, एक कॉलेज में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है जहां शिक्षा विशेष रूप से महिला छात्रों के लिए दी जाती है।

5. महिलाओं की शिक्षा के लिए एक कॉलेज को महिलाओं के लिए जेल या पुलिस स्टेशन, या बेसहारा महिलाओं को रखने के लिए किसी भी संस्थान के बराबर नहीं माना जा सकता है।अपने स्वभाव से इन संस्थानों को एक ऐसे प्रमुख की आवश्यकता होती है जो एक महिला हो।हम अक्सर ऐसे मामलों में आते हैं जहां अपराध की आरोपी महिलाओं को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और केवल पुरुषों द्वारा संचालित पुलिस स्टेशनों में पुलिस द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है।इसलिए, यह उचित है कि महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा 'प्रबंधित' महिला अभियुक्तों को दर्ज करने के लिए पुलिस थानों का गठन किया जाए।महिला दोषियों को कैद करने के लिए जेलों का भी यही मामला है।इन दो मामलों में हम पाते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के नियंत्रण/अभिरक्षा में होने की स्थिति में किसी भी सुरक्षा के बिना रहना होगा।इसी तरह बेसहारा महिलाओं को रखने के लिए बने संस्थान के मामले में, एक महिला ऐसी असहाय महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं को समझने के लिए अधिक उपयुक्त है।जबकि अब हम इस सवाल पर विचार कर रहे हैं कि क्या किसी कॉलेज में पढ़ने वाली महिला छात्रों को अध्ययन या अपने करियर में प्रगति के लिए केवल एक महिला प्राचार्य की आवश्यकता होती है।मेरी विनम्र राय में, ऐसा नहीं है।आखिरकार एक प्राचार्य केवल कॉलेज का प्रशासन करने जा रहा है और ऐसा हो सकता है कि वह कभी-कभी शिक्षण का काम भी कर रहा हो।वस्तुतः महिला छात्र संबंधित शिक्षकों और विभागों के प्रमुखों के नियंत्रण और मार्गदर्शन में होंगी।पंजाब विश्वविद्यालय के नियम किसी पुरुष को विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने से पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करते हैं।यह केवल विभागों के ऐसे पुरुष-प्रमुखों के नियंत्रण और मार्गदर्शन में है कि महिला छात्र वास्तव में अपनी पढ़ाई करते हैं और यह उन पर निर्भर करता है कि महिला छात्रों को अपनी शंकाओं को स्पष्ट करने और अपनी समस्याओं को हल

करने के लिए देखना होगा।महिला छात्र इस तरह की समस्याओं के लिए प्राचार्य से मिलने नहीं जा रही हैं।पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर में गिने गए प्राचार्य की शक्तियों और कार्यों की सूची से भी और जो विद्वान माननीय न्यायमूर्ति सेठी के निर्णय में निकाली गई हैं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जो किसी पुरुष को प्राचार्य के रूप में नियुक्त करने के रास्ते में खड़ा हो।हो सकता है कि यह सूची संपूर्ण न हो, फिर भी मुझे यह मानने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है कि लिंग के अलावा कोई अन्य विचार है जो महिला महाविद्यालय में एक पुरुष के प्राचार्य के रूप में नियुक्त होने के रास्ते में खड़ा है।इस मामले में हमें याद रखना होगा कि अब हम उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण कर रहे हैं जो पुरुषों को केवल इस आधार पर कॉलेज के प्राचार्य के रूप में पदोन्नत और नियुक्त होने के अवसर से वंचित करता है कि कॉलेज ऐसा है जो विशेष रूप से महिला छात्रों के लिए शिक्षा प्रदान करता है।यदि हमें इस तरह के प्रावधान की वैधता को बनाए रखना है तो प्रतिवादी को ठोस और स्वीकार्य कारण देकर अपने दावे का समर्थन करने में समर्थ होना चाहिए, जो मेरी विनम्र राय में उन्होंने नहीं किया है। अनुच्छेद 15 (3) के प्रावधान, जिनका उद्देश्य महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करना है, का उपयोग पुरुषों के सिर काटने के लिए तलवार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी दिए गए मामले में, इस तरह के प्रावधान का उपयोग किसी पुरुष को पदोन्नति प्राप्त करने के उसके वैध अधिकार से वंचित करने के लिए किया जा सकता है और जब भी उसकी बारी आती है तो 'लेडीज कॉलेज' में रिक्ति पैदा करके गलत उद्देश्यों के साथ प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।जबकि महिलाओं के लिए कुछ संख्या में प्राचार्य के पदों के आरक्षण पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, महिला महाविद्यालय में प्राचार्य के पद को केवल एक महिला के लिए आरक्षित करने के लिए बाध्यकारी कारण होने चाहिए। जब तक और अन्यथा आश्वस्त करने वाले और बाध्यकारी कारण नहीं हैं, तब तक आरक्षण को केवल इस आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है कि संविधान का अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं के संबंध में विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।वर्तमान समय में महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं और वे कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका में शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं।उन्होंने न केवल पुलिस में बल्कि रक्षा बलों में भी अपनी उचित जगह ले ली है। चला गये वे दिन हैं जब महिलाएं रसोई तक ही सीमित रहती थीं या खुद को पूरी तरह से असहाय परिस्थितियों में पाती थीं।वे राष्ट्रों के भाग्य को आकार देने के लिए प्रमुख पदों पर आसीन हुए हैं।इसलिए, मुझे यह कहने में भी साहस हो रहा है कि पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा नियम 5 के रूप में बनाया जाने वाला यह विशेष प्रावधान

74. इसलिए मैं सम्मान के साथ उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार से असहमत हूं और विद्वान माननीय न्यायमूर्ति सेठी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ सहमत हूं। परिणामस्वरूप मेरा यह भी विचार है कि यह रिट बनाए रखने योग्य है, कि यह न्यायालय उचित मामलों में कोई परिणामी

राहत दिए बिना केवल घोषणात्मक राहत प्रदान कर सकता है, और यह भी कि पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर के अध्याय VII खंड III (ii) का नियम 5, संवैधानिक और अतिसंवेदनशील है।

75. मुझे पूर्ण न्यायपीठ को भेजे गए प्रश्नों पर अपने विद्वान न्यायमूर्ति द्वारा व्यक्त की गई राय को पढ़ने का सौभाग्य मिला है।

76. प्रस्तुत किए गए प्रश्नों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मैं अपने विचार और निष्कर्ष व्यक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

77. तथ्यों को विस्तार से बताना आवश्यक नहीं है क्योंकि उन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के फैसले में संक्षिप्त रूप से कहा गया है।

78. यह कहना पर्याप्त है कि इन दो रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता जो चंडीगढ़ (यू. टी.) द्वारा संचालित सरकारी कॉलेज में व्याख्याता के रूप में काम कर रहे हैं। पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रशासन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर रहा है, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई है कि पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड-II का विनियमन V, अध्याय VII (ii) जिसके तहत एक पुरुष व्याख्याता को बालिका महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में नियुक्त होने से प्रतिबंधित किया जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 का उल्लंघन करने के साथ-साथ असंवैधानिक भी है।

79. न्यायमूर्ति आर. पी. सेठी (जो उस समय उनके अधिपति थे) और न्यायमूर्ति एस. एस. सुधालकर की खण्ड पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि "इस मुद्दे पर एक आधिकारिक निर्णय के लिए, विनियमन 5 की संवैधानिक वैधता के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई याचिका को एक बड़ी पीठ द्वारा निर्धारण की आवश्यकता है" और तदनुसार तीन से अधिक न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा सुनवाई करने का निर्देश दिया गया, जाहिर है, क्योंकि उनकी राय थी कि *शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य* में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय को "विशिष्ट माना जा सकता है"।इस तरह यह मामला हमारे सामने आया।

80. तर्कों के दौरान, हमारे विचार के लिए दो प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात् -

1. क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 323-ए के खंड 2 के साथ पठित प्रशासनिक न्यायालय अधिनियम, 1985 की खंड 28 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विशिष्ट बहिष्कार को देखते हुए बनाए रखने योग्य है।

2. क्या पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर का खंड 3 अध्याय 7 (2) विनियम 5, जो यह प्रावधान करता है कि महिला महाविद्यालय की प्राचार्य एक महिला होगी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 का उल्लंघन करने के रूप में असंवैधानिक है।

81. मैं रिट याचिका पर विचार करने के लिए इस न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के संबंध में पहले प्रश्न पर विचार करने के लिए आगे बढ़ूंगा।इस संबंध में प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क इस आधार पर आधारित है कि याचिकाकर्ता चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संचालित सरकारी कॉलेजों के व्याख्याता हैं जो एक 'केंद्र शासित प्रदेश' है और याचिकाकर्ता महिला कॉलेज में प्राचार्य के पद पर पदोन्नति की मांग कर रहे हैं और इसलिए, विवाद प्रशासनिक न्यायालय अधिनिय, 1985 की खंड 14 के दायरे में आने वाले एक सेवा मामले से संबंधित है। और इसलिए, यह न्यायालय एक रिट जारी नहीं कर सकता है और उच्च न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 323 के खंड 2 (डी) के साथ पठित प्रशासनिक न्यायालय अधिनियम, 1985 की खंड 28 में निहित प्रावधानों द्वारा छीन लिया गया है।

82. इसलिए, यह देखा जाना चाहिए कि क्या हम प्रशासनिक न्यायालय अधिनियम, 1985 के दायरे में आने वाले किसी भी सेवा मामले पर निर्णय लेने के लिए पुनर्निर्धारित हैं।उक्त अधिनियम की खंड 3 (जी) परिभाषित करती है कि सेवा विषय क्या है।वह इस प्रकार हैः—

“इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, किसी व्यक्ति के संबंध में "सेवा मामले" का अर्थ है संघ या किसी अन्य के मामलों के संबंध में उसकी सेवा की शर्तों से संबंधित सभी मामले। राज्य या भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण, या, जैसा भी मामला हो, सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम (या समाज) के संबंध में -

(i) पारिश्रमिक (भत्तों सहित), पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ;

(पुष्टि, वरिष्ठता, पदोन्नति, प्रत्यावर्तन, समयपूर्व सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति सहित कार्यकाल;

(iii) किसी भी प्रकार की छुट्टी;

(iv) अनुशासनात्मक मामले; या

(v) कोई अन्य बात।”

83. यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सेवा की शर्तों का कोई उल्लंघन किया गया है। ।यू. टी. प्रशासन अपने द्वारा ली गई किसी भी नीति के आधार पर याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति से इनकार नहीं कर रहा है।इस मामले में वास्तविक विवाद नियोक्ता और कर्मचारी के बीच नहीं है।इस मामले में शामिल वास्तविक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि

क्या यू. टी. प्रशासन पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किसी नियम या विनियम का पालन करने के लिए बाध्य है, यदि ऐसा नियम या विनियम नागरिकों के मूल अधिकार के उल्लंघन के रूप में असंवैधानिक पाया जाता है।इसलिए, इस मामले में वास्तविक विवाद एक ओर पंजाब विश्वविद्यालय और दूसरी ओर यू. टी. प्रशासन और उसके कॉलेजों में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच है।

84. मान लीजिए, सिटी ब्यूटीफुल, चंडीगढ़ में सरकारी महाविद्यालय यू. टी. प्रशासन द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन वे पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं।इस बात में कोई विवाद नहीं है कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन जो महाविद्यालयों को चलाता है, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य है, जिससे यू. टी. प्रशासन के महाविद्यालय संबद्ध हैं।यदि यू. टी. प्रशासन पंजाब विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों का पालन नहीं करता है, तो प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा अपने महाविद्यालयों की मान्यता रद्द करने या संबद्धता वापस लेने के जोखिम को आमंत्रित करता है।इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता पंजाब विश्वविद्यालय के विनियमन को चुनौती दे रहे हैं जो महिला महाविद्यालयों में पुरुष प्राचार्यों की नियुक्ति पर यू. टी. प्रशासन को रोक लगाता है।इसलिए, वास्तव में याचिकाकर्ता पंजाब विश्वविद्यालय के खिलाफ राहत की मांग कर रहे हैं, जो इसे इसकी असंवैधानिकता के आधार पर उक्त विनियमन को लागू करने से रोकता है।कॉलेज की संबद्धता जारी रही यू. टी. प्रशासन विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है जब तक कि एक सक्षम न्यायालय विश्वविद्यालय के विनियमन को असंवैधानिक घोषित नहीं करता है और नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।

85. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत गठित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का पंजाब विश्वविद्यालय पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और वह विश्वविद्यालय के विनियमन को उसकी अयोग्यता के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के लिए बाध्यकारी नहीं घोषित नहीं कर सकता है और न ही वह विनियमन को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।पंजाब विश्वविद्यालय को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। न्यायाधिकरण केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को कॉलेज की मान्यता रद्द करने या इसकी संबद्धता वापस लेने की अप्रिय स्थिति पैदा करने के खतरे में डाले बिना याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दे सकता है। यदि संबद्धता वापस ले ली जाती है तो कॉलेज को बंद कर दिया जाना चाहिए और यह याचिकाकर्ताओं या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और बड़े पैमाने पर छात्र समुदाय के हित में बिल्कुल नहीं है।इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि पंजाब विश्वविद्यालय इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है और पंजाब विश्वविद्यालय के किसी भी नियम या विनियमन को इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है और इस न्यायालय का निर्णय पंजाब विश्वविद्यालय सहित इन रिट याचिकाओं में सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी है।

86. जब विश्वविद्यालय के किसी विनियमन को चुनौती दी जाती है, तो यह विसंगति की ओर ले जाता है यदि हम याचिकाकर्ताओं को न्यायाधिकरण से उचित उपाय लेने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क करने का निर्देश देते हैं।मान लीजिए कि न्यायाधिकरण यू. टी. प्रशासन को इसकी अयोग्यता के आधार पर विनियमन का पालन नहीं करने का निर्देश देता है, उक्त निर्णय केवल यू. टी. प्रशासन द्वारा संचालित महाविद्यालयों पर बाध्यकारी है पंजाब राज्य के अन्य हिस्सों में पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध कई अन्य महाविद्यालय हैं।केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय न तो विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी है और न ही पंजाब राज्य में स्थित उन महाविद्यालयों के प्रबंधन या कर्मचारियों के लिए।शहर (या संघ की सीमा में) के बाहर स्थित अन्य महाविद्यालयों के प्रबंधन या कर्मचारीः यदि वे यू. टी. प्रशासन या उसके कर्मचारियों को दी गई समान राहत चाहते हैं तो क्षेत्र को अनिवार्य रूप से इस न्यायालय से संपर्क करना होगा।यदि उच्च न्यायालय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से अलग दृष्टिकोण रखता है तो इससे कार्यवाही और परस्पर विरोधी निर्णयों की बहुलता होगी।ऐसी स्थिति न्याय के प्रशासन के लिए संचारी नहीं है।

87. इस पहलू को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है।मान लीजिए कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण विनियमन को अमान्य घोषित करता है और यू. टी. प्रशासन केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों को लागू करता है और विश्वविद्यालय यू. टी. प्रशासन द्वारा अपने विनियमों का पालन न करने के आधार अधिकारातीत संबद्धता को वापस ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में संबद्धता को वापस लेने के खिलाफ यू. टी. प्रशासन का क्या उपाय होगा। यूटी प्रशासन के लिए उपलब्ध एकमात्र उचित उपाय संबद्धता वापस लेने पर सवाल उठाते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा।फिर यह न्यायालय विनियमन की वैधता की नए सिरे से जांच करने के लिए बाध्य है क्योंकि यह न्यायालय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय से बाध्य नहीं है।इस न्यायालय के लिए एक अलग निष्कर्ष पर आने और संबद्धता को वापस लेने के आदेश को इस आधार पर बनाए रखने के लिए खुला है कि विनियमन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

88. इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय प्रभावी है जबकि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय इस न्यायालय के निर्णय के रूप में प्रभावी नहीं है।कानून का प्राथमिक उद्देश्य लचीलापन नहीं बल्कि निश्चितता है।

89. *एम. बी. मोजुंदर वाई बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1990 2263* , उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1985 के अधिनियम के तहत गठित प्रशासनिक न्यायालयों को सभी उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालय के बराबर नहीं माना जा सकता है।न्यायालयों को सभी तार्किक परिणामों के साथ उच्च न्यायालयों के रूप में नहीं माना जा सकता है।न्यायाधिकरण की तुलना उच्च

न्यायालय के साथ करना केवल सेवा मामलों से संबंधित विवादों के निर्णय के लिए एक मंच के रूप में था, न कि सभी उद्देश्यों के लिए।

90. आर. के. जैन बनाम भारत संघ 1993' (4) एस. सी. सी. 119 में, न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा कि "संविधान के अनुच्छेद 323-ए और 323-बी के तहत या विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत स्थापित न्यायालय अधिनियम के अंग हैं और किसी भी मामले में उच्च न्यायालय या समानता या प्रतिस्थापन के रूप में न्यायाधीशों के रूप में स्थिति का दावा नहीं कर सकते हैं।

91. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पूर्ण पीठ ने *साकिनाला हरिनातली बनाम ए. पी. राज्य (1993 (2) ए. एन. डब्ल्यू. आर.-484* मामले में अभिनिर्धारित किया कि भाभारत के संविधान के अनुच्छेद 323-ए (2) (डी) को इस हद तक असंवैधानिक माना गया है कि यह संसद को कानून द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने का अधिकार देता है और परिणामस्वरूप, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 28 को इस हद तक असंवैधानिक घोषित किया गया कि यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से वंचित करती है।

92. ए. पी. उच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ ने *एस. फखरुद्दीन बनाम ए. पी. सरकार ए. आई. आर. 1996 ए. पी. 37* में अनुमोदन के साथ *सकिंडा हरित बनाम ए. पी. राज्य* मामले में पूर्ण पीठ के निर्णय को संदर्भित किया।

93. मुझे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर आगे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि अनुच्छेद 323-ए के खंड 2 (डी) और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की खंड 28 की वैधता का उल्लेख किया गया है।सीए सं सं. 169/94 में *एस. हरिनाथ बनाम ए. पी. राज्य* में ए. पी. उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के खिलाफ अपील पर उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ।

94. इन परिस्थितियों में, मुझे प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की खंड 28 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323-ए के खंड 2 (डी) की संवैधानिक वैधता पर कोई राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

95. जैसा कि मैंने ऊपर संकेत दिया है, मेरे विचार में यह राय है कि यह उच्च न्यायालय है और अकेले उच्च न्यायालय के पास पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड III के अध्याय VII (ii) की संवैधानिकता तय करने की शक्ति है।

96. इसलिए, मेरे लिए इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या परिणामी राहत के बिना केवल एक घोषणा दी जा सकती है, हालाँकि, जैसा कि हमारे सामने मुद्दा उठाया गया है और तर्क दिया गया है, मैं इस बिंदु पर भी अपने विचार व्यक्त करना अनिवार्य समझता हूं।

97. मेरे स्वामी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश *रामराघवे रेड्डी बनाम शेषु रेड्डी (उपरोक्त)* मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1871 की खंड 42 और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की खंड 39 के प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि असाधारण मामलों में, उच्च न्यायालय को घोषणात्मक राहत देना उचित हो सकता है।

98. हालांकि आम तौर पर केवल एक घोषणात्मक राहत तब नहीं दी जा सकती जब याचिकाकर्ता परिणामी राहत का हकदार हो। अब इंग्लैंड में अच्छी तरह से स्थापित है कि जब परिस्थितियों की आवश्यकता होती है तो एक घोषणात्मक राहत दी जा सकती है।

99. लॉज ऑन ने अपने रेमेडीज इन इंग्लिश लॉ 1972 एड. में पृष्ठ 266 पर बताया है कि घोषणात्मक निर्णय,राहत के साथ, इंग्लैंड में सौ साल से अधिक पुराना नहीं है, हालांकि यह लंबे समय से स्कॉटलैंड में "घोषणाकर्ता" के नाम से एक नियमित उपाय था।

100. लॉर्ड डेनिंग ने एक प्रमुख सार्वजनिक कानून उपचार के रूप में घोषणात्मक निर्णय के विकास में विशेष रूप से प्रमुख भूमिका निभाई।अपने हैमिन व्याख्यान (कानून के तहत स्वतंत्रता पी. 125) में उन्होंने इस प्रकार निष्कर्ष निकालाः—

“यह मुझे इन व्याख्यानों के अंत में लाता है।आम तौर पर भाग की समीक्षा करने से जो मुख्य बात सामने आती है वह यह है कि हमने उन विशेषाधिकारों को तय नहीं किया है जिन पर कार्यपालिका की नई शक्तियों को नियंत्रित किया जाना है।कोई भी यह नहीं मान सकता कि कार्यपालिका कभी भी उन पापों के लिए दोषी नहीं होगी जो हम सभी के लिए समान हैं।आपको यकीन हो सकता है कि वे कभी-कभी ऐसे काम करेंगे जो उन्हें नहीं करने चाहिए।लेकिन अगर और जब हम में से किसी को भी गलतियों का सामना करना पड़ता है तो इसका इलाज क्या है?हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने की हमारी प्रक्रिया कुशल है, लेकिन शक्ति को रोकने की हमारी प्रक्रिया कुशल नहीं है।उन्हें नई और अद्यतित मशीनरी, घोषणाओं, निषेधाज्ञा और लापरवाही के लिए कार्रवाई द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।”

टेलर बनाम राष्ट्रीय सहायता बोर्ड 1957 (1) ए.यू.ई.आर. 183 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः—

“उपचार घोषणा वर्तमान में उपलब्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसद द्वारा स्थापित बोर्ड या अन्य प्राधिकरण कानून के अनुसार अपने निर्णय लेता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निर्णय न्यायिक या अनुशासनात्मक हैं, या, जैसा कि यहां, प्रशासनिक निर्धारण हैं। संसद के निर्णयों की अंतिमता का आभास देती है। बोर्ड केवल इस शर्त पर कि वे कानून के अनुसार पहुंचेःऔर रानी के न्यायालय यह देखने के लिए एक घोषणा जारी कर सकते हैं कि यह शर्त पूरी हो गई है।”

आर. वी. मेंएच. एम. ट्रेजरी 1982 (1) ए.यू.ई.आर. 589. ने कहा, "मेरा मानना है कि कम से कम ऐसे अधिकांश मामलों में राहत का एकमात्र उपयुक्त रूप (यदि कोई हो) घोषणा के माध्यम से हो सकता है।”

100. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत केवल घोषणात्मक राहत जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्तियों पर भारत के कई उच्च न्यायालयों के बीच मतभेद प्रतीत होते हैं।

101. निम्नलिखित मामलों में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही का वास्तव में एक घोषणात्मक मुकदमा से कोई संबंध नहीं हो सकता है और किसी अधिनियम की वैधता या संवैधानिकता पर घोषणा के लिए याचिका सक्षम नहीं है-

1. शिव शंकर बनाम एम. पी. राज्य सरकार ए. आई. आर. 1951 नागपुर 58।

2. फेकू चमार और अन्य बनाम हरीश चंद्र और अन्य ए. आई. आर. 1953 ऑल 406।

3. अनुमती सधुखान बनाम सहायक क्षेत्रीय नियंत्रक, खरीद, अलीपुर ए. आई. आर. 1953 कैल. 187।

4. दुर्गा दास बनाम मुनि लाल और अन्य ए. आई. आर. 1953 पी. बी. 133।

5. महाप्रबंधक, पूर्वी रेल और एक अन्य बनाम क्षीरोद चंद्र खासमोबिस ए. आई. आर. 1966 कैल. 601।

6. कैलटेक्स (इंडिया) लिमिटेड मद्रास में कर्मचारी और एक अन्य बनाम श्रम आयुक्त और सुलह अधिकारी, मद्रास सरकार और एक अन्य ए. आई. आर. 1959 मद्रास 441।

7. थोक अनाज और बीज व्यापारी संघ, नागपुर और अन्य बनाम सचिव, खाद्य विभाग बॉम्बे द्वारा से महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य ए. आई. आर. 1968 बम 75 ।

8. गुरबक्स सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य ए. आई. आर. 1973 पी. एंड एच. 310।

9. एन. बालाराजू और अन्य बनाम हैदराबाद नगर निगम आयुक्त नगर निगम हैदराबाद और अन्य द्वारा से ए. आई. आर. 1960 ए. पी. 234।

103. एक विपरीत दृष्टिकोण, अर्थात्, कि एक घोषणात्मक राहत अनुच्छेद 226 के दायरे में आती है और उचित और उचित मामले में दी जा सकती है, निम्नलिखित मामलों में ली गई थीः—■

(1) मेसर्स पेंस लेस्ली एंड कंपनी लिमिटेड की मासिक रेटेड कृतियाँ बनामश्रम आयुक्त और मुख्य सुलह अधिकारी और अन्य ए. आई. आर. 1966 केरल 55।

(2) योगेंद्र नाथ हांडा और अन्य बनाम राज्य और अन्य ए. आई. आर. 11967 राज 123।

(3) डॉ. स्वयंबर प्रसाद सुद्रानिया बनाम राजस्थान राज्य औरअन्य ए. आई. आर. 11972 राज। 69।

(4) शराफत अली खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ए. आई. आर. 11960 सभी। 687।

104. न्यायाधीश मुखर्जी ने *चरणजीत लाई बनाम भारत संघ* मामले में निम्नलिखित निर्णय दियाः—

इस अनुच्छेद (अनुच्छेद 32) के तहत किसी कार्यवाही का वास्तव में एक घोषणात्मक मुकदमा के रूप में जाना जाने वाला कोई संबंध नहीं हो सकता है।याचिका में की गई पहली प्रार्थना एक घोषणा के रूप में राहत की मांग करती है कि अधिनियम अमान्य है और स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 32 के तहत एक आवेदन के लिए अनुपयुक्त है।"

उसी निर्णय में आगे कहा गया हैः—

"किसी भी तरह से, संविधान का अनुच्छेद 32 हमें विशेष मामलों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने मुकदमा तैयार करने के मामले में बहुत व्यापक विवेकाधिकार देता है, और याचिकाकर्ता के आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि उचित मुकदमा या निर्देश के लिए अनुरोध नहीं किया गया है।"

105. *इब्राहिम वादिर मावत बनाम बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 227.*में, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि पाकिस्तान (नियंत्रण) अधिनियम की खंड 7 को अनुच्छेद 13 (1) के तहत अमान्य घोषित किया गया है, जहां तक कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ई) के तहत भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार के साथ संघर्ष करता है।

106. *के. के. कोचुन्नी बनाम मद्रास राज्य ए. एल. आर. 1959 एस. सी. 733* के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त मामलों पर विचार करने के बाद निम्नानुसार टिप्पणी की है।

"लेकिन अधिकारियों के विचार पर यह अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की शक्तियां एक घोषणात्मक आदेश देने के लिए पर्याप्त हैं, जहां यह पीड़ित पक्ष को दी जाने वाली उचित राहत है।"

107. इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्राधिकरणों के विचार पर, मेरा दृढ़ विचार है कि एक उचित मामले में एक घोषणात्मक राहत दी जा सकती है।हालाँकि, मैं यह जोड़ सकता हूँ कि चूंकि मेरा विचार है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास पंजाब विश्वविद्यालय के विनियमन की

वैधता और संवैधानिकता पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए केवल घोषणात्मक राहत देने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन यदि विनियमन असंवैधानिक पाया जाता है, तो इसे निरस्त किया जा सकता है और जो विश्वविद्यालय इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसे प्रभावी नहीं होने का निर्देश दिया जा सकता है, इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संचालित महिला महाविद्यालय में पुरुष प्राचार्य या महिला प्राचार्य नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

108. अब मैं दूसरा प्रश्न उठाऊंगा, जो तय किया जाने वाला मुख्य मुद्दा है।

109. जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर के अध्याय VII (ii) का विनियमन V कॉलेज प्रबंधन के लिए महिला कॉलेज में महिला प्राचार्यों की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह विनियमन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करते हुए असंवैधानिक है।

110. इसलिए, हमें यह देखना होगा कि क्या विनियमन समानता खंड को प्रभावित करता है।

111. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि विनियमन महिलाओं का पक्ष लेता है और महिला महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पुरुषों के बहिष्कार के लिए महिलाओं को वरीयता देता है और दी गई वरीयता लिंग के आधार पर है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 का उल्लंघन करती है।निस्सन्देह, भेदभाव महिलाओं के पक्ष में और पुरुषों के खिलाफ है।

112. संविधान की प्रस्तावना में निहित समानता खंड के अनुच्छेद 14, 15 और 16 घटक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, भारत गणराज्य के सभी नागरिकों को स्थिति और अवसर की समानता सुरक्षित करने की गारंटी देते हैं।

113. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यह एक मान्यता प्राप्त तथ्य है कि भारत के संविधान के आने से पहले इस महान देश के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया था।फिर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी और क्या है।

114. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि भारतीय समाज में मुख्य रूप से पुरुष प्रधानता का बोलबाला था और है। लिंग निर्धारण का यह लंबा और दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है। परंपरागत रूप से इस तरह के भेदभाव को पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण द्वारा तर्कसंगत बनाया गया है, जो व्यावहारिक प्रभाव में, महिलाओं को एक पायदान पर नहीं बल्कि एक पिंजरे में रखता है।

115. व्यक्तियों के समूह के साथ भेदभाव किसी सभ्य समाज या ऐसे समाज में नहीं हो सकता जो मानव अधिकारों और व्यक्तियों की गरिमा में विश्वास करता हो। स्वतंत्र भारत ने अपने पहले

महत्वपूर्ण विधान संविधान में पुरुषों और महिलाओं की समानता में अपने विश्वास को एक ऐसे समाज की शुरुआत के लिए पूर्व शर्त के रूप में घोषित किया जहां सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा। इसने न केवल स्थिति की समानता लाने की पुष्टि की बल्कि महिलाओं के लिए अवसर की समानता भी प्रदान की। नीति निर्माताओं ने महसूस किया कि जब तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी तब तक स्थिति की समानता निरर्थक है। हालाँकि, जो रीति-रिवाज और परंपराएँ समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध थीं, उन्हें ख़त्म होने में बहुत समय लगता है। इसलिए सराहनीय दूरदर्शिता के साथ संविधान निर्माताओं ने कहा कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं जो समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करेंगे। तब थोड़ा संदेह था और आज भी स्थिति नहीं बदली है, कि स्थिति में बदलाव लाने के लिए महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है।" ऐसा तभी होगा जब वे पेश किए गए अवसरों का लाभ उठाने की स्थिति में होंगी।

देश को आजादी मिलने के समय भारतीय महिलाओं के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सबसे अच्छी तरह से समझाया है। उन्होंने महिलाओं की स्थिति को "कुछ हद तक गुलामों की स्थिति में" बताया और कहा कि हर महिला को खुद को पुरुषों का गुलाम मानना सिखाया गया है। महात्मा गांधी ने भी भारतीय महिलाओं की निम्न स्थिति के तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने लिखा, "आज हमारे बीच महिलाओं का एकमात्र व्यवसाय बच्चे पैदा करना, अपने पति की देखभाल करना और अन्यथा न केवल घर के लिए मेहनत करना माना जाता है।" क्या महिलाएँ घरेलू दासता के लिए अभिशप्त हैं, लेबल्कि जब वह मजदूरी कमाने के लिए एक मजदूर के रूप में बाहर जाती है, हालांकि वह पुरुष की तुलना में अधिक मेहनत करती है तो उसे कम भुगतान किया जाता है।”

116. महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया भर में दिखाई देता है।

117. वास्तव में, मशुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं की स्थिति थॉमस जेफरसन द्वारा व्यक्त किए गए विचार में परिलक्षित होती है कि महिलाओं को समाज की निर्णय लेने वाली परिषदों में न तो देखा जाना चाहिए और न ही सुना जाना चाहिए। (एम. गर्नबैग, वीमेन इन अमेरिकन पॉलिटिक्स 4(1969) देखें।।संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, यह बेहतर तरीके से अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक सदी पुराने निर्णय *ब्रेडवेल बनाम हटियोन (1873) 63 यूएसएफ 30* का हवाला देकर प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें यह इस प्रकार कहा गया हैः—

पुरुष महिलाओं का रक्षक है और रक्षक होना चाहिए।महिला लिंग से संबंधित प्राकृतिक और उचित डर और कठोरता स्पष्ट रूप से नागरिक जीवन के कई व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त है।पारिवारिक संगठन का संविधान, जो दिव्य अध्यादेश के साथ-साथ चीजों की प्रकृति में स्थापित है, घरेलू क्षेत्र

को इंगित करता है जो उचित रूप से स्त्रीत्व के क्षेत्र और कार्यों से संबंधित है।पारिवारिक संस्थान से संबंधित या संबंधित हितों और विचारों की पहचान नहीं कहने के लिए सद्भाव एक महिला के अपने पति से एक अलग और स्वतंत्र कैरियर अपनाने के विचार के विपरीत है।

महिलाओं की सर्वोच्च नियति और मिशन पत्नी और मां के महान और सौम्य पदों को पूरा करना है।यह 'सृष्टिकर्ता का नियम' है। भारत में महिलाओं की स्थिति किसी भी तरह से बेहतर नहीं थी।

118. हालाँकि, महिलाओं की प्रकृति के आधार पर उनकी सीमाओं के बारे में 18वीं सदी के विचारों में महिला मुक्ति आंदोलन की गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बदलावों के कारण सभी मामलों में समान व्यवहार के आग्रह को जगह दी गई है।

119. यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र, जो बुनियादी मानवाधिकारों के संबंध में सभी मनुष्यों की समानता के लिए खड़ा है, महिलाओं के पक्ष में सुरक्षात्मक उपायों को भेदभावपूर्ण नहीं मानता है।महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर घोषणा 1967 का अनुच्छेद 10.3 कहता है कि "कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपाय किए गए हैं।

भौतिक प्रकृति में निहित कारणों के लिए कार्य के प्रकार को भेदभावपूर्ण नहीं माना जाएगा

120. सोवियत संविधान के अनुच्छेद 122 में प्रावधान है कि महिलाओं को आर्थिक, सरकारी, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं।

121. जापानी संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि "नस्ल, पंथ, लिंग, सामाजिक स्थिति या पारिवारिक अधिकारों के कारण राजनीतिक, आर्थिक या इस तरह के संबंधों में कोई भेदभाव नहीं होगा।

122. यूरोपीय कन्वेंशन का अनुच्छेद 14 गारंटी देता है कि कन्वेंशन में निर्धारित अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के आनंद में लिंगों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

123. संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 27 वें संशोधन की धारा 1 द्वारा, लिंग के आधार पर महिलाओं के खंडीकरण को समाप्त कर दिया गया है, संशोधन की धारा 1 में घोषणा की गई है कि "कानून के तहत समानता को संयुक्त राज्य या किसी भी राज्य द्वारा लिंग के कारण अस्वीकार या संक्षिप्त नहीं किया जाएगा।यह संशोधन 1972 में कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था और 1973 में राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

124. भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 14 में समान संरक्षण खंड को शामिल करते हुए, अनुच्छेद 15 (1) और 16 (2) में लिंगों के बीच भेदभाव को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया है, जिसमें कहा गया

है कि राज्य केवल लिंग के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगाःसाथ ही, राज्य को विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 15 (3) में एक अपवाद प्रदान करना।

125. इस प्रकार, इस तथ्य से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि दुनिया भर में महिलाओं के साथ पुरुषों के खिलाफ भेदभाव किया गया है और सभी देशों में इस विकार को दूर करने के प्रयास किए गए हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति के उत्थान के लिए विशेष उपचार प्रदान करना।

126. संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 9 पर भारत की संविधान सभा में बहस (संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 9 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के रूप में पुनर्नामित किया गया है) स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने का प्रावधान करने वाले खंड का उद्देश्य महिलाओं के पक्ष में भेदभाव का प्रावधान करना है और यह भेदभाव समाज के विशेष वर्गों के पक्ष में है जो अतीत की दुर्भाग्यपूर्ण विरासत के कारण विकलांग या विकलांगों से पीड़ित हैं।समुदाय के किसी भी पिछड़े खंड को अनिवार्य रूप से बाकी लोगों के साथ प्रगति करनी चाहिए और यह केवल समुदाय के हित में है, इसलिए, यह सही और उचित है कि हमें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि उन्हें अद्यतन किया जा सके और सभी की समान प्रगति को आगे बढ़ाया जा सके।

127. भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 (3) महिलाओं के पक्ष में सुरक्षात्मक भेदभाव के लिए विशिष्ट प्रावधान करता है।यह इस प्रकार हैः—

"इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।"

'के लिए' शब्द का सामान्य विभेदक अर्थ है 'के हित में, लाभ के लिए, जिस पर जाने का इरादा है।बचाव में, समर्थन में, पक्ष में।"

128. यह अब अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है कि कानून की व्याख्या करते समय संविधान की भावना को ध्यान में रखना होगा।इसलिए, जब यह संभव हो कि किसी अधिनियम के शब्दों को दबाए बिना, ऐसी व्याख्या दी जाए जो सामाजिक न्याय में मदद करती है और बाधा नहीं डालती है, तो पहले वाले को लिया जाना चाहिए।यह विचार माननीय न्यायमूर्ति खालिद ने *कुन्ही मोहिन बनाम पाथूम्मीना 1976 के. एल. टी. 87* में लिया था, जिन्होंने इस तथ्य का उल्लेख करने के बाद कि भारत में महिलाएं "कई गुना अक्षमताओं का सामना करती हैं जबकि पुरुषों का हमेशा एक ऊपरी हाथ होता है", ने कहा कि "समाज कल्याण कानून पर विचार करते हुए अदालतों को अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भाषा पर थोड़ा दबाव डालने के लिए उचित ठहराया जाएगा।"

129. खंड 125 से निपटना।न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने *रमेश सिकंदर बनाम वीणा कौशल ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1807* मामले में निम्नलिखित टिप्पणी कीः—

“यह प्रावधान सामाजिक न्यायाधीश का एक उपाय है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है और अनुच्छेद 39 द्वारा प्रबलित अनुच्छेद 15(3) के संवैधानिक के अंतर्गत आता है।हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि न्यायालयों द्वारा निर्माण का आह्वान करने वाले क़ानूनों के अनुभाग मुद्रित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक कार्यों को पूरा करने के लिए जीवंत शब्द हैं।महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर वर्गों के लिए संवैधानिक सहानुभूति की गहरी उपस्थिति को यह सूचित करना चाहिए कि इसकी व्याख्या की सामाजिक प्रासंगिकता होनी चाहिए।इस प्रकार, दो विकल्पों में से उस व्याख्या को चुनने में चयनात्मक होना संभव है जो कारण को आगे बढ़ाता है-अवहेलना का कारण।”

130. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 15 (3) का उद्देश्य उन महिलाओं का पक्ष लेना है जो सदियों से उपेक्षित हैं और जिनका उत्थान देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अनुच्छेद 14, 15 और 16 एक समग्र योजना का हिस्सा है जिसे 'समानता संहिता' कहा जाता है।इसलिए, अनुच्छेद 15 (3) न केवल अनुच्छेद 15 (1) के लिए बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (2) के लिए भी एक अपवाद है।

131. हाल ही में एक निर्णय *ए. पी. सरकार बनाम पी. बी. विजय कुमार ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 1648* में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः—

“अनुच्छेद 14, 15 और 16 के बीच परस्पर संबंध इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में विचार किया गया है।अनुच्छेद 15 इस देश के नागरिकों के संबंध में हर प्रकार की राज्य कार्रवाई से संबंधित है।राज्य की गतिविधि का प्रत्येक क्षेत्र अनुच्छेद 15 (1) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए, राज्य के तहत रोजगार अनुच्छेद 15 के दायरे से बाहर करने का कोई कारण नहीं है।साथ ही अनुच्छेद 15 (3) महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।दोनों अनुच्छेद15(1) और 15 (3) एक साथ जाएँ।तथापि, अनुच्छेद 15 (1) अनुच्छेद 16 (1) के अतिरिक्त, राज्य गतिविधि के एक विशिष्ट क्षेत्र अर्थात् राज्य के अधीन रोजगार के संबंध में कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।ये अनुच्छेद 15 (1) के तहत गिने गए निषेध के आधारों के अलावा हैं जो अनुच्छेद 16 (2) के तहत भी शामिल हैं।ये हालांकि, अनुच्छेद 16 के तहत राज्य के तहत रोजगार के संबंध में कुछ विशिष्ट प्रावधान हैं।अनुच्छेद 16 (3) राज्य को संसदीय विधान द्वारा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास की पुनर्स्थापना निर्धारित करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 (4) पिछड़े वर्गों के पक्ष में पदों के आरक्षण की अनुमति देता है।अनुच्छेद 16 (5) एक ऐसे कानून की अनुमति देता है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है या उसे किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय से संबंधित होने की आवश्यकता हो सकती है, यदि वह धार्मिक या

सांप्रदायिक संस्था के मामलों के संबंध में किसी पद का अधिकारी है।इसलिए, राज्य के तहत किसी भी रोजगार या पद के संबंध में अनुच्छेद 16 (2) में निर्धारित आधारों पर भेदभाव के खिलाफ निषेध अनुच्छेद 16 के खंड 3,4 और 5 द्वारा योग्य है।इसलिए, राज्य के तहत रोजगार से निपटने में, इसे अनुच्छेद 15 और 16 दोनों को ध्यान में रखना होगा-पहला अधिक सामान्य प्रावधान है और दूसरा, एक अधिक विशिष्ट प्रावधान है।चूँकि अनुच्छेद 16 राज्य द्वारा महिलाओं के लिए किए जा रहे किसी विशेष प्रावधान को नहीं छूता है, इसलिए यह किसी भी तरह से अनुच्छेद 15 (3) के तहत इस संबंध में राज्य को दी गई शक्ति का अपमान नहीं कर सकता है।अनुच्छेद 15 (3) द्वारा प्रदत्त यह शक्ति राज्य के तहत रोजगार सहित राज्य की गतिविधियों की पूरी श्रृंखला को शामिल करने के लिए पर्याप्त है।"

पुनः उक्त निर्णय के पैरा 11 में इस प्रकार कहा गया हैः—

"हालाँकि, हमें यह मानने का कोई कारण नहीं मिलता है कि यह नियम अनुच्छेद 15 (3) के दायरे में नहीं है, न ही इसे किसी भी तरह से अनुच्छेद 16 (2) या 16 (4) का उल्लंघन करता है जिसे अनुच्छेद 15 (1) और 15 (3) के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए।राज्य के तहत रोजगार या पदों के संबंध में अनुच्छेद 15 (3) के तहत आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई दोनों की अनुमति है।अनुच्छेद 15 और 16 दोनों एक समतावादी समाज के निर्माण के समान उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं।जैसा कि माननीय न्यायमूर्ति थॉममेन ने *इंदिरा साहनी* के मामले में कहा है (हालाँकि उनका निर्णय एक अल्पमत निर्णय है), "समानता भारतीय लोकतंत्र की शानदार आधारशिलाओं में से एक है।" हालाँकि, हमें अभी उस मोड़ पर आना है।उस उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि अनुच्छेद 15 (3) को अनुच्छेद 16 के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाए ताकि उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके जिसके लिए इन अनुच्छेदों को तैयार किया गया है।" (जोर दिया गया)। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 15 (3) संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अपवाद है।

132. अनुच्छेद 15(3) पर सबसे पहला मामला *यूसुफ बनाम राज्य* में मुख्य न्यायाधीश छागला का है जहां उनके आधिपत्य ने कहा था "इसलिए, इस देश में इस भेदभाव का कारण यह तथ्य नहीं है कि महिलाओं का लिंग पुरुषों से अलग था, बल्कि महिलाएं, यह देश इतना स्थित था कि उनकी सुरक्षा के लिए विशेष कानून की आवश्यकता थी।" *यूसुफ बनाम राज्य* 1954 एससीआर 630 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस निर्णय की पुष्टि की गई थी, जिसमें कहा गया है कि "अनुच्छेद 14 सामान्य है और इसे अन्य प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो मौलिक अधिकारों के दायरे को निर्धारित करते हैं। लिंग एक ठोस वर्गीकरण है और यद्यपि उस आधार पर सामान्य तौर पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, संविधान स्वयं महिलाओं और बच्चों के मामले में विशेष प्रावधान प्रदान करता है। यह भी माना गया है कि दोनों लेखों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए।

133. *पी. सागर बनाम स्टेल (67) ए. आई. आर. 1968 ए. पी. 165* मुख्य न्यायाधीश जगन मोहन रे (उस समय उनके स्वामी के रूप में) पीठ की ओर से इस प्रकार बोल रहे थेः—

“महिला उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण को भी चुनौती दी गई है और इस आधार पर कि यह उन लोगों के लिए है जो खुले चयन में नहीं आ सकते हैं और खुले चयन के लिए परीक्षण किए बिना सभी महिला उम्मीदवारों को आरक्षण कोटे में लाने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नियमों के तहत अनावश्यक और अनुचित है और इसलिए यह अवैध है।यह विवाद अनुच्छेद 15 (3) के प्रावधानों की उपेक्षा करता है जो उक्त अनुच्छेद के खंड (1) में उत्कीर्ण एक अपवाद है, जिसमें यह प्रावधान है कि उस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।महिलाओं और बच्चों के लिए इस विशेष प्रावधान को ध्यान में रखते हुए।इस विशिष्ट प्रावधान को देखते हुए, उस आरक्षण पर हमला नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, आरक्षण समग्र रूप से वर्ग के लिए एक सामान्य है और नियम इस तरह से बनाया गया है कि उन महिला उम्मीदवारों को ध्यान में रखा जाए जिन्होंने अन्य वैध आरक्षण के साथ-साथ योग्यता पूल में सामान्य प्रतियोगिता में सीटें हासिल की हैं।यह दिखाने के लिए कुछ भी आग्रह नहीं किया गया है कि यह आरक्षण संविधान के किस प्रावधान का उल्लंघन करता है।हममें से एक (मुख्य न्यायाधीश) ने आंध्र डब्ल्यू. आर. 294 (ऊपर) में इसी तरह के विवाद पर विचार करते हुए कहा था कि आरक्षण का विरोध नहीं किया जा सकता है।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि महिलाओं, खिलाड़ियों आदि के लिए आरक्षण सभी सामान्य श्रेणियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें किसी विशेष वर्ग या जाति तक सीमित नहीं रखते हैं। न ही संविधान के अनुच्छेद 15 (1) या अनुच्छेद 29 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।”

पी. बी. विजय कुमार बनाम ए.पी सरकार ,यहां तक कि माननीय न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने भी यह विचार व्यक्त किया कि महिलाओं के लिए आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत बनाए रखा जा सकता है। माननीय न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने इस प्रकार टिप्पणी कीः—

“इस दृष्टिकोण से, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि कुछ पदों को ऐसे पदों के रूप में वर्गीकृत करना जिनके लिए महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक उपयुक्त हैं या ऐसे पदों के रूप में जिन्हें केवल महिलाओं द्वारा ही भरा जाना चाहिए, कानून में तब तक अस्वीकार्य है, जब तक कि वर्गीकरण केवल लिंग पर आधारित नहीं है, बल्कि पद की प्रकृति, उससे जुड़ी आवश्यकताओं और कर्तव्यों और उसके लिए महिलाओं की उपयुक्तता पर आधारित है।”

134. *इंदिरा साहनी* के मामले में माननीय न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने यह कहते हुए अपने विचार को दोहराया कि "अनुच्छेद 16 (1) उसके द्वारा सुनिश्चित अवसर की समानता की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है।अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए,

कुछ स्थितियों में असमान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना आवश्यक हो सकता है।ऐसा नहीं करते यह असमानता को कायम रखेगा और उसे बढ़ाएगा।"

135. *मेल कान आदि बनाम रॉबर्ट एल. शेविन आदि 416 यू. एस. 881* में "यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम चौदहवें संशोधन के समान संरक्षण खंड का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि विधवाओं और विधुरों के साथ राज्य का अलग-अलग व्यवहार अधिनियम के उद्देश्य के साथ एक उचित और स्थायी संबंध रखने वाले अंतर के कुछ आधार पर निर्भर करता है, अर्थात उस लिंग पर पति-पत्नी के नुकसान के वित्तीय प्रभाव को कम करने की राज्य नीति जिसके लिए वह नुकसान लागू होता है, एक असमान रूप से भारी बोझ है।"

धारण करते समय इसे इस प्रकार देखा गयाः—

इस बात पर विवाद हो सकता है कि फ्लोरिडा या किसी अन्य राज्य में अकेली महिला के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयाँ पुरुष के सामने आने वाली कठिनाइयों से अधिक हैं।चाहे वह खुलेआम भेदभाव से हो या पुरुष प्रधान संस्कृति की समाजीकरण प्रक्रिया से, नौकरी का बाजार महिलाओं के लिए दुर्गम है, जो किसी भी लेकिन सबसे कम वेतन वाली नौकरी की तलाश में है।"

136. मुझे अधिकारियों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर सम्मानित विद्वान माननीय न्यायमूर्ति सिंघवी ने विचार किया है।

137. महिला महाविद्यालय में प्राचार्य का पद आरक्षित करना वास्तव में प्रशंसनीय और सराहनीय है।पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर1985 खंड III केअध्याय XIX में उल्लिखित किसी संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य की शक्तियों और कार्यों के अलावा, किसी महाविद्यालय के प्राचार्य से, चाहे वह संबद्ध हो या न हो,महाविद्यालय के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करने और इसके काम पर सामान्य नियंत्रण रखने की अपेक्षा की जाती है, जिससे कुछ शिक्षक-छात्र संबंध बन जाते हैं, छात्रों के कल्याण और छात्रों के बीच स्वस्थ रुचि को बढ़ावा मिलता है।महिला महाविद्यालय में, इन कार्यों को प्रभावी ढंग से किया जा सकता है यदि संस्थान की प्रमुख महिला प्राचार्य हों।छात्राएँ घरेलू और मैत्रीपूर्ण वातावरण महसूस करती हैं यदि उनकी प्राचार्य भी उनके लिंग से संबंधित हैं और वे अपनी शिकायतों और उनके लिंग के कारण उनके सामने आने वाली समस्याओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकती हैं।इस प्रकार, वर्गीकरण उचित है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत वर्गीकरण को बनाए रखने के लिए *पी. बी. विजय कुमार* के मामले (उपरोक्त) में माननीय न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी द्वारा प्रतिपादित मानदंडों को पूरा करता है।

138. इसलिए, मेरा विचार है कि विनियमन 5 अध्याय 7 (2) जो महिला प्राचार्य की नियुक्ति का प्रावधान करता है, वैध, संवैधानिक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 का उल्लंघन नहीं करता है।

139. हमारे विचार के लिए उठाए गए प्रश्नों पर मेरे निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैंः—

1. रिट याचिकाएं बनाए रखने योग्य हैं और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त राहत जारी करने में सक्षम है यदि यह पाया जाता है कि विवादित विनियमन अमान्य और असंवैधानिक है।

2.पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर के अध्याय VII (ii) का विनियम V वैध और संवैधानिक है और याचिकाकर्ताओं के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।

140. जिस दृष्टिकोण से मैंने दूसरे प्रश्न पर विचार किया है, उसके बाद जो आवश्यक परिणाम आता है, वह यह है कि रिट याचिकाएं विफल हो जाती हैं, और तदनुसार खारिज किए जाने योग्य होती हैं। पूर्ण पीठ ने 16 मई, 1996 का आदेश पारित किया।

बहुमत के अनुसार (माननीय न्यायमूर्ति एन. के. सोधी विपरीत)

141. मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, रिट याचिकाओं को बनाए रखने योग्य माना जाता है। बहुमत के अनुसार (माननीय न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और माननीय न्यायमूर्ति टी. एच. बी. चलपति,विपरीत)

142. पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड III के विनियम 5 अध्याय VII (ii) को असंवैधानिक और किसी अधिकारातीत से याचिकाकर्ताओं के सेवा अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी अधिकारातीत से असंवैधानिक होने के कारण रद्द कर दिया गया है, जो अन्य लोगों के साथ पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं, यदि अन्यथा पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा